डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 दिसम्बर, 2021, डिस्पेच दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

| वर्ष 65 | अंक 14 | भोपाल | 16 दिसम्बर, 2021 | पृष्ठ 20 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

खाद वितरण में दिक्कत न हो- श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को खाद वितरण में कोई दिक्कत नहीं आए। किसानों में खाद वितरण को लेकर असंतोष पैदा न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स को खाद् वितरण व्यवस्था बेहतर बनाने के संबंध में निर्देश दिये गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के 8 जिलों सतना, श्योपुर, सागर, शहडोल, अशोकनगर, शिवपुरी, रीवा और मुरैना के कलेक्टर शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, जिसका वितरण ठीक ढंग से सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स युक्ति बुद्धि और तरीके से प्रशासकीय क्षमता का उपयोग करते हुए खाद का वितरण सुनिश्चित करें। एक जगह पर खाद वितरण के लिए किसानों की भीड़ न बढ़ाएँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद वितरण व्यवस्था को विकेंद्रीकृत कर अलग-अलग केंद्रों पर खाद का वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों की सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने और असंतोष पैदा न होने देने के लिए भरपूर प्रयास करें। यदि खाद की आवश्यकता है तो बता दें, जिससे खाद भिजवाई जा सके। खाद को ब्लेक न होने दें। ब्लेक करने वालों पर कठोरतम कार्यवाही करें। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

धान खरीदी केन्द्र का संचालन महिलाएँ भी करेंगी

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने बज्जरवाड़ा केन्द्र का शुभारंभ किया

भोपाल : सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि धान खरीदी केन्द्र का संचालन स्व-सहायता समूह की सदस्य महिलाएँ भी करेंगी। सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने होशंगाबाद जिले के बज्जरवाड़ा गाँव में धान खरीदी केन्द्र का तौल-काँटे का पूजन कर शुभारंभ करते हुए यह बात कही।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार महिला स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिये खरीदी केन्द्रों का दायित्व सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी माताएँ-बहनें खरीदी केन्द्रों पर उपार्जन गतिविधियों को संचालित करेंगी। सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि बाबई नगर के पास ग्राम बज्जरवाड़ा में धान खरीदी केन्द्र जय दुर्गे महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित किया जायेगा।

धान खरीदी केन्द्र शुभारंभ कार्यक्रम में सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह, स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती ममता साहू, सचिव श्रीमती राजकुमारी और अन्य स्थानीय जन-प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सहकारी समितियों के कर्मचारियों की वेतन सहित अन्य मांगों का निराकरण होगा

महासंघ के मांगपत्र पर सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने दिए निर्देश

भोपाल : सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। मंत्री डॉ. भदौरिया ने मंत्रालय में प्रदेश के सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के प्रांत पदाधिकारियों के साथ संघ की मांगों पर चर्चा के बाद उक्त बात कही।

कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बैठक में सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन भुगतान के साथ अन्य मांगों के निराकरण करने की बात कही। मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बैठक में मौजूद अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अजीत केशरी, प्रमुख सचिव खाद्य एवम नागरिक आपूर्ति निगम श्री फैज़ अहमद किदवई, सहकारिता आयुक्त श्री नरेश कुमार पाल को कर्मचारी महासंघ की माँगों का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बी.एस. चौहान, संरक्षक श्री ओ.पी. गोस्वामी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री लखन यादव, उपाध्यक्ष श्री शैलेश उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद शफी खान उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारी - कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारी कर्मचारियों को अक्टूबर माह से 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलेगा। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारियों कर्मचारियों को वर्तमान में सातवें वेतनमान में मूल वेतन पर दिए जा रहे 12 प्रतिशत डीए में एक अक्टूबर 2021से 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

विपणन संघ की प्रशासकीय समिति द्वारा स्वीकृत करने के बाद आज डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

वित्तीय पत्रक का प्रकाशन

इस अंक में श्री बालाजी अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., सतना, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा के वित्तीय पत्रकों का प्रकाशन किया जा रहा है।

- सम्पादक

गबन, धोखाधड़ी एवं अंकेक्षण तथा विभागीय कार्य निष्पादन पर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं सहकारी निरीक्षकों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। सहकारी संस्थाओं में गबन, धोखाधड़ी एवं अंकेक्षण तथा विभागीय कार्य निष्पादन विषय पर दिनांक 29 नवम्बर 2021 से 01 दिसम्बर 2021 एवं 06 दिसम्बर 2021 से 08 दिसम्बर 2021 तक कुल 47 प्रतिभागियों ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की व्याख्या एवं प्रावधान विषय पर श्री डी.के. सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा/अधिवक्ता, वर्तमान में प्रदेश में प्राप्त महत्वपूर्ण गबन अपराधियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं अपराध पूर्व रोकथाम, विषय पर श्री अविनाश सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु अपनाई जाने वाली प्रकिया एवं दस्तावेज पर श्री के के सक्सेना, से.नि. डिप्टी डायरेक्टर, प्रोसिक्यूशन, गबन, धोखाधडी, अमानत में खयानत आदि प्रकरणों का न्यायालयीन निर्णय हेतु प्रमुख तथ्य समस्या एवं समाधान विषय पर श्री जे एम चतुर्वेदी, से.नि. जिला न्यायाधीश, संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों का परीक्षण, तकनीकी पैरामीटर के आधार पर– सी.आर., ए.आर., एन.पी.ए. एवं अन्य पैरामीटर पर कर प्रतिवेदन दर्ज करना विषय पर श्री पी.के.एस. परिहार, वरिष्ठ प्रबंधक अपेक्स बैंक, सहकारी संस्थाओं में गबन एवं धोखाधडी के मुख्य प्रकार एवं उनके तथ्यों का प्रकटीकरण, कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यनिष्पादन, कर्तव्य, उत्तरदायित्व व द्वारा प्रशासक निर्वाचन अधिकारी, परिसमापन, अंकेक्षण विषय पर श्री जे.पी.गुप्ता, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, सहकारिता, संस्थाओं के अंकेक्षण में सी.बी.एस. एवं डी.एम. आर. एकाउंट का परीक्षण करना एवं वित्तीय अनियमित्ताओं की जानकारी प्राप्त करना विषय पर श्री आर.के. गंगेले, ओ.एस.डी., अपेक्स बैंक, संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों के परीक्षण–निरीक्षण एवं टैक्स लायबलिटी(जी.एस.टी., आयकर आदि) का परीक्षण एवं अंकेक्षण टीप में शामिल किया जाना विषय पर श्री अंशुल अग्रवाल, चार्टड एकाउंटेंट, सहकारी संस्था को हुई हानि की पूर्ति हेतु की जाने वाली विधिक कार्यवाही एवं पृथक वैधानिक प्रतिवेदन की जानकारी श्री श्रीकुमार जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, वर्तमान में संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु जारी अद्यतन परिपत्र एवं उनका पालन कर वित्तीय अनियमितताओं पर रोकथाम विषय पर श्री संजीव गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, व्यक्तित्व विकास, संवेगात्मक बुद्धि, समय एवं तनाव प्रबंधन विषय पर श्रीमति सृष्टि उमेकर एवं श्रीमति रश्मि गोलिया, कारपोरेट मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, राज्य संघ एवं श्री संजय सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी के द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किये गये। इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमति रेखा पिप्पल, व्याख्याता एवं श्री संतोष येड़े राज्य समन्वयक के द्वारा किया गया। श्री विनोद कुशवाहा, श्री लोकेश श्रीवास्तव, श्री विक्रम मजूमदार, श्री प्रवीण कुशवाह, श्री धनराज सैंदाणे, श्री ज्ञानू सिंह एवं समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा।

मप्र : कृषि क्षेत्रों के लिए लागू होगा बांस मिशन

भोपाल। मध्य प्रदेश में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ इसे लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रयास जारी है। इसी क्रम में सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि क्षेत्र में बांस मिशन लागू किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में अधिकारियों से कहा कि कृषि के क्षेत्र में बांस मिशन लागू कर खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारी शुरू कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने बांस मिशन के लिए कार्य-योजना बनाने और इसे लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में व्यवस्थित ढंग से बांस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। एक सप्ताह में कार्य-योजना बनाकर टास्क फोर्स का गठन कर लिया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि देश में क्रियान्वित की जा रही एआईएफ योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। इस योजना में अभी तक 1788 प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो पूरे देश का 45 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया जाए। मुख्यमंत्री ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि जैविक खेती के विशेषज्ञों के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ें। इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने फसलों के विविधीकरण एवं निर्यात के लिए ठोस प्रयास करने पर जोर दिया और कहा कि कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की देश में प्रतिष्ठा है, जिसे बनाए रखने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएं। देश में विशिष्ट पहचान बनाने के लिए फसलों का विविधीकरण बहुत आवश्यक है।

SHREE BALAJI URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.

श्री बालाजी अर्बन को–आपरेटिव बैंक लि सतना

Balance Sheet As on 31st March 2021

स्थिति विवरण पत्रक वर्ष 2020–2021 (31.03.2021 पर)

As on 31.03.2020		Capital & Liabilities (Rs) देनदारी (पूंजी एवं दायित्व)	As on 31.03.2021
	1)	**Capital** पूंजी	
		अधिकृत पूंजी 200000/–हिस्सा 100/– एक	
	(I)	Authorised Capital 200000/- shares	
20000000.00		of Rs. 100/- Each	20000000.00
		हिस्सा पूंजी 111148/– हिस्सा 100/– एक (पूर्व वर्ष 109509/–हिस्सा)	
	(ii)	Subcribed Capital 111898 Shares of	
11114800.00		Rs.100/-each (Previous year 111148 Shares)	11189800.00
11114800.00	a)	of the above held by Individuals etc. व्यक्तिगत पूं	11189800.00
	b)	Co-op. Institution सहकारी संस्था	
	c)	State Govt. राज्य शासन	
11114800.00			11189800.00
9755.00	(iii)	Nominal Capital नाममात्र सदस्य	9755.00
11124555.00			**11199555.00**
	2)	**Reserve Fund & other Reserves**	
		कोष एवं निधियां	
83595744.00	(I)	Statutory Reserve रक्षित निधि	89595744.00
36296315.33	(ii)	Building Fund भवन निधि	39335065.33
16422000.00	(iii)	Bad & Doubtful Reserve संदिग्ध एवं डूबत निधि	18422000.00
2210000.00	(iv)	Proposed Dividend लाभाशं निधि	2230000.00
2966276.00	(v)	Investment Depreciation Reserve विनियोग अवक्षय	2966276.00
8950000.00	(vi)	Investment Fluctuation Reserve	10950000.00
150440335.33		विनियोग घट बढ निधि	**163499085.33**
	3)	**Principal / Subsidiary State**	
		मूलधन/अधीनस्थ/राज्य शासन	
0.00		Partnership fund Account	0.00
		संयुक्त निधि खाता	
	4)	**Deposit and other Accounts**	
		जमा अमानतें एवं अन्य खाते	
	I)	**Fixed Deposits मुद्दती अमानत खाता**	
430347937.00		a) Individual etc व्यक्तिगत	470882697.00
729597.00		b) Central Co-op.Bank & other societies	729597.00
		सहकारी बैंक एवं अन्य समितियां	
	II)	**Saving Banks Deposits बचत अमानत बैंक**	
95093418.55		a) Individual etc. व्यक्तिगत	121565482.37
44170.84		b) Central Co-op.Bank & other societies	305026.84
		सहकारी बैंक एवं अन्य समितियां	
	III)	**Current Deposits चालू खाता**	
64420464.24		a) Individual etc व्यक्तिगत	69273021.06
2860.90		b) Central Co-op.Bank & other societies	2110.90
		सहकारी बैंक एवं अन्य समितियां	
0.00	IV)	Money at Call & Short Notice	0.00
		काल मनी मार्केट	
590638448.53			**662757935.17**
	5)	**Borrowings बैंक एवं अन्य ऋण**	
0.00	(I)	From RBI/State/Central Co-op.Banks	0.00
		रिर्जव बैंक /शासन/ सहकारी बैंक	

As On 31.03.2020		Property & Assets (Rs) लेनदारी (सम्पत्तियां)	As on 31.03.2021
	1)	**Cash** शिल्क	
2852137.00	a)	Cash In Hand नगदी शिल्क	6977433.00
0.00	b)	Balance with RBI आर.बी.आई	0.00
17246871.76	c)	Balance with SBI स्टेट बैंक आफ इण्डिया	7235456.76
215712.73	d)	Balance with Dist.Central Co-op. Bank	215640.73
20314721.49		जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सतना	**14428530.49**
	2)	**Balance with other Banks**	
		अन्य बैंक मे चालु / बचत अमानतें	
47204242.59	(I)	Current Deposits	128403556.56
		चालू खाता	
78193947.00	(ii)	Fixed Deposits	123707300.00
		मुददती खाता	
125398189.59			**252110856.56**
0.00	3)	Money at call & short notice काल मनी एवं शार्ट नोटिस	0.00
318501456.00	4)	Investments-विनियोग 317189810.00	**315326622.00**
		Less:- Amortisation- 1863188.00	
		परिशोधन	
	5)	Investments out of the Principal /Subsidiary	
0.00		State Partnership A/c	0.00
		विनियोग/निवेश मूलधन/सहायक शासन/ सयुक्त खाता	
			Cont-2
	6)	**Advances** अग्रिम	
	(I)	Short Term Loans अल्पावधि ऋण	
246503887.19		Cash credit, Over Drafts &	232203615.44
		नगद साख,ओवर ड्राफट,बिल्स डिसकाउन्ट	
		Bills Discounted	
246503887.19		Of which secured against tangible securities	232203615.44
246503887.19		Of the advances amount due from individual	232203615.44
		व्यक्तिगत फर्म ऋण	
0.00		of the advance amount overdue	0.00
758636.00		considered Bad & doubtful of recovery	758636.00
		विवादास्पद/संदिग्ध/डूबत ऋण	
55866715.87	ii)	Medium Term Loans मघ्यकालीन ऋण	38139193.37
		of which secured against tangible securities	
55866715.87		of the advances amount due from individual	38139193.37
0.00		of the advance amount over due	0.00
1412633.00		considered Bad & doubtful of recovery. संदिग्ध / डूबन्त	1413364.00
302370603.06			**270342808.81**
0.00	7)	Bills Purchased	0.00
		बिल्स कय	

As on 31.03.2020		Capital & Liabilities (Rs)	As on 31.03.2021	As On 31.03.2020		Property & Assets (Rs)	As on 31.03.2021
				10159061.00	8)	**Interest Receivable ब्याज प्राप्त योग्य**	**10677022.00**
0.00	ii)	From SBI स्टेट बैंक आफ इण्डिया	0.00			Investment विनियोग 6397758.00	
0.00	iii)	From Madhyanchal Gramin Bank	0.00			Add: NPA Advance 4279264.00	
0.00		मध्यांचल ग्रामीण बैंक	**0.00**			(as per contra)	
0.00	iii)	From State Govt. मध्यप्रदेश शासन	0.00	0.00	9)	Bills Cheques receivable	**0.00**
						being bills for collection	
	iv)	From Other Banks अन्य बैंक				(as per contra)	
0.00		a) Short Term over draft facility	0.00				
		अल्पावधि ओवर ड्राफट सुविधा		0.00	10)	Branch Adjustments	0.00
0.00	6)	Bills for Collection being bills	0.00			शाखा समायोजन	
		receivable (as per contra) बिल्स प्राप्त योग्य		0.00	11)	Premises परिसर ह्रास	0.00
						Less: Depreciation	
0.00	7)	Branch Adjustments शाखा समायोजन	0.00				
				485630.60	12)	a) Furniture & fittings फर्नीचर एवं फिटींग	437067.60
				0.00		Addition:- वर्ष (+)	0.00
3554344.00	8)	Overdue Interest Reserve	**4279264.00**	48563.00		Less: Depreciation अवक्षयण (–)	43707.00
		(As per Contra) अतिदेय ब्याज निधि		**437067.60**			**393360.60**
0.00	9)	Interest Payable ब्याज भुगतान योग्य	0.00	273717.00		b) Vehicle वाहन	232659.00
				0.00		Addition:- वर्ष (+)	0.00
				0.00		Less: Sale विक्रय (–)	0.00
	10)	**Other Liabilities & Provisions**		41058.00		Less: Depreciation अवक्षयण (–)	34898.00
		अन्य दायित्व एवं प्रावधान		**232659.00**			**197761.00**
0.00	I)	Bills /DD Payable बिल्स / डी डी भुगतान योग्य	0.00				
2506624.00	ii)	Dividend Payable लाभांश देय	1668084.00	35102.00		c) Computer etc. कम्प्यूटर	17552.00
0.00	iii)	Suspense/Sundries सस्पेंश / सेण्डीज	47279.00	0.00		Addition:- वर्ष (+)	0.00
310854.70	iv)	Bankers Cheque payable बैंकर्स चेक भुगतान योग्य	614239.70	17550.00		Less: Depreciation अवक्षयण (–)	17552.00
1216000.00	v)	Prov. for Standard Assets प्रावधान मानक आस्तियों	1416000.00	**17552.00**			**0.00**
21560.00	vi)	Advance Income अग्रिम आय	64901.00				
421356.00	vii)	Liabilities for Expenses खर्चो मे दायित्व	387460.00	342060.00		d) Electrical Equip.& install.	290751.00
						विद्युत उपकरण / अन्य	
591469.00	viii)	TDS Payable आयकर भुगतान योग्य	440425.00	0.00		Addition:- वर्ष (+)	77145.50
0.00	ix)	Provision for Distt.Co-op. Union Subs	0.00	0.00		Less: Sale विक्रय (–)	0.00
		प्रावधान जिला सहकारी संघ चन्दा					
810350.00	(xi)	Provision for Gratuity	852550.00	51309.00		Less: Depreciation अवक्षयण (–)	49399.00
		प्रावधान कर्मचारी कल्याण निधि					
0.00	(xii)	Prov for Sub-Standard Assets	0.00	**290751.00**			**318497.50**
0.00	(xiii)	Income Tax Payable	0.00				
		आयकर देय					
		प्रावधान अवमानक आस्तियों					
5878213.70			**5490938.70**		13)	**Other Assets अन्य सम्पत्तियां**	
				136940.55	a)	Stationery Stock स्टेशनरी स्टाक	95937.50
	11)	Profit and Loss लाभ – हानि खता		60360.00	b)	Security Deposits सिक्योरिटी अमानत	60360.00
15985615.35		Profit as per last balance sheet	16353464.73	0.00	c)	Prepaid Expenses प्रस्तावित खर्चे	0.00
		लाभ अंतिम वित्तीय पत्रक अनुसार		0.00		Stamps & Stamped papers	0.00
22635379.38		Add:Profit for the year (Subject to Taxation)	23400136.53		d)	स्टाम्पस / स्टाम्प पेपर	
		जोडिये वर्ष का लाभ		70000.00	e)	Suspense recoverable	70000.00
						अनिश्चय वसूलीयोग्य	
38620994.73			39753601.26	0.00	f)	Advance Income Tax Asst Year-	0.00
22267530.00		Less: Appropriations/ Taxation	22958623.00			अग्रमि आयकर	
16353464.73		घटाइये टैक्स योग्य	**16794978.26**				
				267300.55			**226297.50**
777989361.29		**Grand Total महायोग**	**864021756.46**	**777989361.29**		**Grand Total महायोग**	**864021756.46**

		Contingent Liabilites		0.00
0.00	I)	Outstanding Liabilities for Bank Guarantees issued (Net of Margin)	0.00	
0	ii)	Others	0.00	
0.00			0.00	

Note : The Word "INDIVIDUAL : DENOTES EXCLUDING Co-op. Bank & Co-op. Societies.

For: V K P M G & CO.
Chartered Accountants

Place : SATNA
Date: 13.08.2021

N C Agarwal, Chairman

Savita Puri, Vice Chairman

Nitin Daga, Director, FCA

CA ANUP SINGH, PARTNER, M.No 447294, FRN. 009322C

Raj Bahor Tiwari, CEO

SHREE BALAJI URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.

श्री बालाजी अर्बन को–आपरेटिव बैंक लि सतना

Profit & Loss A/c for the year ended 31st March 2021

लाभ–हानि पत्रक वर्ष 2020–2021 (31/03/2021 पर)

As on 31.03.2020		Expenditure (Rs.)	As on 31.03.2021	As On 31.03.2020		Income (Rs.)	As on 31.03.2021
32453697.00	1)	Interest on deposits, borrowing etc. ब्याज अमानत तथा ऋण पर	33425361.00	60598291.33	1)	Interest & discount ब्याज प्राप्त	62405535.78
4218758.00	2)	Salaries & Allowances & Provident fund वेतन , भत्ता तथा भविष्य निधि	4345520.00	497324.13	2)	Commission, exchange & brokerage. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	590747.50
36000.00	3)	Directors & Local Committee Members fees & Allowances संचालक मण्डल स्थानीय समितियों के सदस्य का शुल्क एवं भत्ता	36000.00	0.00	3)	Income from non- banking assets and profit from sale or dealing with such assets	0.00
1626484.00	4)	Rent,taxes, insurance,lighting etc. किराया, शुल्क, बीमा, प्रकाश आदि	1651748.00				
480010.00	5)	Law charges & professional fees विधि व्यय	445855.00	2042287.09	4)	Other receipts अन्य व्यय	1847787.36
134366.00	6)	Postage, telegram & telephonic charges डाक,टेलीग्राम, एवं दूरभाष	33180.00	0.00	5)	Loss (if any) हानि	0.00
40875.00	7)	Audit fees अंकेक्षण शुल्क	44625.00				
179872.00	8)	Depreciation & repairs in property सम्पत्ति पर अवक्षयण एवं दुरुसती	168535.00				
580289.45	9)	Stationery, printing & advertisement etc. स्टेशनरी प्रिंटिंग, विज्ञापन	513818.05				
0.00	10)	Loss from sale of or dealing with non banking assets	0.00				
623171.72	11)	Other expenditures अन्य व्यय	579292.06				
129000.00	12)	Provision for standard/ sub standard assets प्रावधान मानक अस्तियां	200000.00				
0.00	13)	Provision for dist.co-op. union subs. प्रावधान को–आपरेटिव यूनियन चन्दा	0.00				
22635379.38	14)	Balance C/F शेष जो आगे ले जाया गया	23400136.53				
63137902.55			**64844070.64**	**63137902.55**			**64844070.64**
1800000.00	15)	Transfer for Bad Debts Reserve संदिग्ध एवं डूबत निधि	2000000.00	22635379.38		By balance of profit b/d शेष जो आगे लाया गया	23400136.53
7000000.00	16)	Transfer for Statutory Reserve रक्षित निधि	6000000.00				
3000000.00	17)	Transfer for Building Fund भवन निधि	3000000.00				
2210000.00	18)	Transfer for Proposed Dividend लाभांश निधि	2230000.00				
2000000.00	19)	Transfer for Investment Fluctuation Reserve विनियोग घट बढ निधि	2000000.00				
6257530.00	20)	Provision for Income Tax आयकर प्रावधान	7728623.00				
367849.38	20)	Balance of Profit शेष लाभ	441513.53				
22635379.38		**Grand Total महायोग**	**23400136.53**	**22635379.38**		**Grand Total महायोग**	**23400136.53**

Place : SATNA
Date: 13.08.2021

For: V K P M G & Co.
Chartered Accountants

N C Agarwal — Chairman
Savita Puri — Vice Chairman
Nitin Daga — Director
Raj Bahor Tiwari — CEO

FCA
CA ANUP SINGH
Partner
M.No 447294
FRN. 009322C

SHREE BALAJI URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD

AUDITOR'S CERTIFICATE

I under signed auditor hereby certify that audit of **SHREE BALAJI URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD., SATNA (MP)** Reg No HO/211 Dated 08.07.1999 for the year ended 31st March 2021 has been completed in accordance with the rules, bye laws of the bank and instructions issued by the Registrar, co-operative Societies M.P. Bhopal from time to time.

The Balance Sheet as on 31st March 2021 and the Profit & Loss Account for the year-ended 31.03.2021 have been prepared according to the Books of Account maintained by the Bank.

In my opinion:

1. The bank has conducted its business in accordance with the bank's byelaws, provisions contained therein and in conformity with the M.P. Co-operative Societies Act. As well as the administrative instructions issued by the Registrar Co-op. Societies M.P. Bhopal from time to time. The work has been conducted in accordance with the directions given in the Banking Regulation Act in force.

2. The Balance Sheet is true and correct and shows all the required information about Bank's position, which was brought to my notice and reflected in the books and incorporated there in.

3. All the information whenever asked for was put timely before me to my satisfaction.

4. The transactions of the Bank, which have come to my notice, have been within competence of the Bank.

5. For the purpose of audit whatever statements were put up before me to my satisfaction.

6. That the profit and loss account shows a true balance of Profit for the year covered by such audit.

7. In my opinion the Balance Sheet & Profit & Loss have been drawn up in conformity with the law and in agreement therewith.

8. That in my opinion, the bank as required by law has kept proper books of account.

The Bank is awarded 'A' Classification

PLACE : SATNA
DATE : 13.08.2021

For V K P M G & Co.
(Chartered Accountants)

CA Anup Singh
Partner
FRN: 009322C
M. No: 447294

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर

प्रारूप

स्थिति विवरण पत्रक 31.03.2021 (सेक्शन 25 बैंकिग रेग्युलेशन एक्ट 1949)

जमा

गत वर्ष की राशि	पूंजी एवं देनदारिया	राशि	राशि	राशि
1250000000.00	**(1) अंश पूंजी**	1250000000.00		**1250000000.00**
	(1) अधिकृत अंश पूंजी प्रति अशं 100/–			
	(2) अभिदत अंशपूंजी अंशों में प्रति अशं 1000/–			
	(3) प्रदत्त अंश पूंजी अंशों में प्रति अंश 1000/–			
807883699.00	उपरोक्त में से धारित राज्य		**829372602.00**	**829372602.00**
610436433.00	(1) सहकारी समितियां	631924433.00		
197191170.00	(2) राज्य शासन	197191170.00		
256096.00	(3) नाम मात्र के सदस्य	256999.00		
0.00	(4) आई0सी0डी0पी0	0.00		
1061517517.28	**(2) आरक्षित एवं अन्य निधि**		**960588809.24**	**1094540379.28**
234393400.00	(1) रक्षित निधि	237046400.00		
124520869.00	(2) कृषि साख स्थायी निधि	126112869.00		
184000000.00	(3) विशेष संदिग्ध डूंबत निधि	184000000.00		
118250000.00	(4) स्पेशल रिजर्व फण्ड	118250000.00		
140000000.00	(5) A संदिग्ध एवं डूंबत निधि	163000000.00		
35000000.00	B अन्य देयता और प्रावधानीकरण अन्य	35000000.00		
48650000.00	(6) भवन निधि	50250000.00		
1244000.00	(7) धर्मादा निधि	1344000.00		
8090000.00	(8) शिक्षा निधि	8290000.00		
7987000.00	(9) विनियोग हास निधि	8093000.00		
18843000.00	(10) साज सज्जा निधि	19443000.00		
233540.24	(11) ग्रेच्यूटी निधि	233540.24		
6975000.00	(12) वाहन निधि	6975000.00		
2551000.00	(13) विशेष जिम्मेदारी डुबंत संदिग्ध	2551000.00		
130779708.04	अन्य निधियाः		**133951570.04**	
13279708.04	(1) कर्मचारी हित निधि	15420570.04		
16016000.00	(2) अंश विमोचन निधि	16016000.00		
20000.00	(3) लाभांश समानीकरण निधि	20000.00		
273000.00	(4) पारितोषिक निधि	273000.00		
39891000.00	(5) सह0 संस्था विकास निधि	40422000.00		
41300000.00	(6) कम्प्यूटर निधी	41800000.00		
20000000.00	(7) छठा वेतनमान एरियर प्रावधान	20000000.00		
9545685069.26	**(3) अमानतें :**			**11562240856.43**
5899443167.91	(I) म्यादी अमानतें :		**6796089551.59**	
5045676302.36	(A) व्यक्तिगत :	**5929991799.21**		
5011579325.73	(1) सावधि अमानत :	5894426001.45		
31491771.27	(2) निरन्तर अमानत :	32960218.00		

नामें

गत वर्ष की राशि	सम्पत्ति एवं अस्तियां	राशि	राशि	राशि
692165169.74	**(1) रोकड शेष**			**1934213067.57**
	(a) हाथ में			
	(i) प्रधान कार्यालय में			
205744867.66	(ii) शाखाओं में	331696532.31	**331696532.31**	
486420302.08	(b) बैंक के चालु अमानत खातों		**1602516535.26**	
43190275.70	(I) अपेक्स बैंक	**77958524.96**		
3400291.53	(1) म0प्र0 राज्य सह0 बैंक प्र0का0 भोपाल	33734150.23		
1618296.64	(2) म0प्र0 राज्य सह0 बैंक शाखा भोपाल	1629371.64		
35490459.17	(3) म0प्र0 राज्य सह0 बैंक शाखा उज्जैन	41213674.73		
2681228.36	(4) म0प्र0 राज्य सह0 बैंक शाखा इन्दौर	1381328.36		
442674935.02	(II) राष्ट्रीयकृत बैंक एवं व्यावसायिक बैंक	**1524038214.94**		
51613289.35	(1) स्टेट बैंक आफ इण्डिया	160628366.15		
7602386.48	(2) स्टेट बैंक आफ इण्डिया(इन्दौर)	601737.48		
2259937.00	(3) एयू स्माल फाईनेंस बैंक	71772595.00		
11796643.31	(4) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	8291442.23		
1182555.85	(5) यु0को0बैंक	182208.76		
118452487.83	(6) आई.सी.आई.सी.आई बैंक	567154321.98		
747879.67	(7) पंजाब नेशनल बैंक	582379.67		
33365942.61	(8) एच0डी0एफ0सी0 बैंक	146080989.41		
5273246.32	(9) एक्सिस बैंक	241621545.12		
104120819.47	(10) आय0डी0बी0आई0 बैक शाखा मंदसौर	107497875.74		
19219043.80	(11) एक्सीस बैंक क्लियरिंग अका.	35096832.05		
52513601.76	(12) आर.टी.जी.एस. अका. सेन्ट्रल बैंक	98539078.78		
1300000.00	(13) आई.सी.आई.सी.आई.IMPS	1123000.00		
6092075.57	(14) आई.सी.आई.सी.आई. ATM	7942875.57		
27135026.00	(15) बैंक ऑफ बडौदा	76922967.00		
555091.36	(III) केश इन ट्रांजिट अन्य बैंको में	**519795.36**		
4155.66	(1) महाराष्ट्र स्टेट कॉ0आप0 बैंक	4155.66		
550935.70	(4) सतपूडा नर्मदा ग्रामीण बैंक	515639.70		
	(2) केश इन ट्रांजिट			
0.00	सेंविग अमानत		**0.00**	**0.00**
3722423689.00	**(3) विनियोजन**			**4760463818.00**
	(I) अंशो में		**473500000.00**	
473000000.00	(1) म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक भोपाल	473000000.00		
500000.00	(3) कृषक भारती देहली	500000.00		

गत वर्ष की राशि	पूंजी एवं देनदारिया	राशि	राशि	राशि
457467.15	(3) सामूहिक बीमा :	433742.55		
2147738.21	(4) म्यादी अमानत :(अन्य)	2171837.21		
727248007.68	(B) सहकारी समितियां :		**748412857.69**	
138025498.50	(1) रक्षित निधि :	147468864.50		
4070514.25	(2) रिस्क फण्ड :	4232237.25		
5643625.00	(3) अति. डूंबत संदिग्ध निधि :	5867832.00		
60782900.12	(4) रिजर्व फण्ड आइ0आर0डी0 अनुदान	63832456.12		
12088673.60	(5) रिवाल्विंग फण्ड	12568949.60		
5303858.15	(6) अनिवार्य अमानत	5514578.15		
501332938.06	(7) सावधि अमानत :संस्थाऐं	508927940.07		
91576969.00	(C) अन्य संस्थाऐं :		**76957007.00**	
91576969.00	(1) नागरिक बैंक :	76957007.00		
34941888.87	(D) अन्य अमानतें :	**40727887.69**	**40727887.69**	
34941888.87	(1) प्रतिभूति कर्मचारी	40727887.69		
3528746751.56	(II) बचत अमानत :		**4643347122.55**	
3022748385.53	(A) व्यक्तिगत :	**3857032731.18**		
505998366.03	(B) सहकारी समितियां :	**786314391.37**		
434266673.50	(1) कृषि सहकारी समितियां	675943768.46		
71731692.53	(2) अकृषि सह0 समितियां	110370622.91		
69675743.52	(III) कंरट अमानत		**80099987.22**	
54401010.23	(1) व्यक्तिगत	63943962.13		
13361217.98	(2) सहकारी समितियां	14191087.05		
1913515.31	(3) नागरिक बैंक	1964938.04		
47819406.27	(VI) मांग एवं अल्प अमानतें		**42704195.07**	
2552612.41	(1) कैश क्रेडिट समर्थन मूल्य :	6310332.38		
2734627.42	(2) कैश क्रेडिट : खाद	3248242.74		
41335425.47	(3) क्रेडिट समितियां	1145967.02		
1196740.97	(4) कैश क्रेडिट सार्वजनिक वित.प्रणाली :	31999652.93		
6605013129.00	**(4) देय ऋण :**			**3778103129.00**
	देय ऋण : अपेक्स बैंक			
6477800000.00	अ. अल्पावधि		**3717400000.00**	
212000000.00	(1) अल्पावधि कृषि सामान्य	157400000.00		
1540000000.00	(2) अल्पावधि कृषि तिलहन	1155200000.00		
112000000.00	(3) अल्पावधि कृषि दलहन	78100000.00		
1248800000.00	(4) अल्पावधि कृषि तिलहन अपेक्स बैंक	500000000.00		
770000000.00	(5) अल्पावधि कृषि तिलहन नाबार्ड बैंक	1420000000.00		
250000000.00	(6) अल्पावधि कृषि सामान्य अपेक्स बैंक	0.00		
145000000.00	(7) अल्पावधि कृषि दलहन अपेक्स बैंक	100000000.00		
0.00	(8) अल्पावधि कृषि सामान्य SLF	231500000.00		
0.00	(9) अल्पावधि कृषि तिलहन SLF	16200000.00		
0.00	(10) अल्पावधि कृषि दलहन SLF	59000000.00		
0.00	(11) ओव्हर ड्राफ्ट (अपेक्स बैंक)	0.00		
2100000000.00	(12) एनसीडीसी कार्य. पूंजी ऋण	0.00		
100000000.00	(13) शार्ट टर्म लिमिट नाबार्ड	0.00		
0.00	(B) केश केडिट	0.00		
0.00	(1) कैश क्रेडिट खाद :	0.00		

गत वर्ष की राशि	सम्पत्ति एवं अस्तियां	राशि	राशि	राशि
	(II) सावधि अमानत :		**4286963818.00**	
42479572.00	(1) रिजर्व फंड विनियोग म0प्र0 राज्य सह0	44603551.00		
1941038500.00	(2) शासकीय प्रतिभूति में विनियोजन	2338955650.00		
1258000000.00	(3) म0प्र0 राज्य सह0बैंक उज्जैन	1088000000.00		
0.00	(4) म0प्र0 राज्य सह0बैंक इंदौर	0.00		
0.00	(5) एयू स्माल फाईनेंस बैंक	5000000.00		
0.00	(6) नाबार्ड टर्म मनी	0.00		
0.00	(7) स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया	0.00		
0.00	(8) आय0डी0बी0आई0 बैंक	49500000.00		
0.00	(9) आई.सी.आई.सी. बैंक	318500000.00		
0.00	(10) एक्सिस बैंक	195000000.00		
0.00	(11) एच.डी.एफ.सी. बैंक	175000000.00		
0.00	(12) पंजाब नेशनल बैंक	0.00		
0.00	(13) बैंक आफ बडौदा	64999000.00		
7405617.00	(14) टी.डी.आर. अका. सेन्ट्रल बैंक	7405617.00		
13193229302.16	**(4) ऋण बकाया**			**9857832832.79**
10719467469.50	(1) अल्पावधि कृषि ऋण	7779505280.23	**7779505280.23**	
144046212.00	(2) अल्पावधि अकृषि ऋण	207299354.53	**207299354.53**	
	(3) नगद साख		**164636930.01**	
65327335.31	(a) कृषि	43511046.19		
40951703.75	(b) अकृषि	40958968.45		
39810709.25	(c) माल के तारण पर (सीसी लिमिट)	42863703.44		
40680567.45	(d) अधिविकर्षण	37303211.93		
	(4) मध्यावधि		**1467856241.46**	
1636221105.01	(a) कृषि	1283847135.29		
29023783.82	(b) अकृषि	20866813.42		
194783405.65	(c) व्यक्तिगत ऋण	163142292.75		
	(5) दीर्घावधि ऋण		**238535026.56**	
2262076.00	(1) टेक्टर ऋण	1023708.00		
3852119.00	(2) गृह निर्माण कर्मचारी	3426084.00		
211638751.94	(3) मुख्यमंत्री आवास ऋण	177404463.38		
65164063.48	(4) अपना घर योजना : ग्रह निर्माण:	56680771.18		
2894874.00	**(5) ऋण राहत वसूली योग्य**	0.00	**2894874.00**	**2894874.00**
2894874.00	1. राज्य शासन	2894874.00		
0.00	2. राज्य शासन नई	0.00		
1038114416.89	**(6) प्राप्ती योग्य ब्याज**	**1352931146.41**	**1352931146.41**	**1352931146.41**
24041414.00	**(7) सुद वसूली योग्य ऋण राहत**	24041414.00	**24041414.00**	**24041414.00**
0.00	**(8) वसूली योग्य बिल**	0.00	**0.00**	**0.00**
121098803.79	**(9) शाखा समायोजन**	121178988.26	**121178988.26**	**121178988.26**
0.00	**कोर इंटर ब्रांच**	0.00	**0.00**	**0.00**
24063943.57	**प्र.का. ऑटो रिकन्सिलेशन नामे**	56609977.57	**56609977.57**	**56609977.57**
35867345.08	**(10) भवन एवं भूमि**	36129648.08	**36129648.08**	**36129648.08**

गत वर्ष की राशि	पूंजी एवं देनदारिया	राशि	राशि	राशि
83540000.00	(C) मध्यावधि		**51020000.00**	
83540000.00	(1) कृषि (ए.आर.एफ.)	51020000.00		
0.00	(2) कृषि (परिवर्तन नाबार्ड)	0.00		
0.00	(3) मध्या परिवर्तन	0.00		
0.00	(4) आय0सी0डी0पी0 ऋण	0.00		
43673129.00	(D) दीर्घावधि		**9683129.00**	
43610000.00	(1) मुख्यमंत्री आवास ऋण नाबार्ड	9620000.00		
63129.00	(2) ग्रामीण गोदाम	63129.00		
0.00	**(5). वसूली योग्य बिल्स**	0.00	**0.00**	**0.00**
30664299.05	**(6) शाखा समायोजन/कोर इन्टर ब्रांच**	0.00	**104148053.74**	**104148053.74**
30664299.05	H.O. AUTO RE. CR.	104148053.74		
223991459.00	**(7) कालातीत ब्याज रिजर्व**		**223991459.00**	**223991459.00**
24038921.00	अ. ऋण राहत पर ब्याज	24038921.00		
199952538.00	ब. कालातीत ब्याज	199952538.00		
362236727.08	**(8) ब्याज देय**		**383279023.30**	**383279023.30**
0.00	अ. ऋण राहत पर	0.00		
362236727.08	ब. अमानतों पर	383279023.30		
451679429.67	**(9) अन्य देनदारियां (एड़वांस व सस्पेंन्स)**			**403455755.80**
	अ. देय योग्य बिल्स			
48792823.70	ब. अन्य देनदारियां	8909815.86	8909815.86	
402886605.97	स. फुटकर देनदारियां		**394545939.94**	
1685400.06	(1) लायबिलिटीज पेयबल	1759184.06		
0.00	(2) जीवन बीमा निगम			
1235467.00	(3) प्राव्हिडेन्ट फण्ड	1280258.00		
2038215.00	(4) क्षतिपूर्ति अनुदान	2038215.00		
400000.00	(5) चंदा देय संघ	400000.00		
19389.00	(6) अंश वापसी	19389.00		
518990.00	(7) राहत कोष	52890.00		
832660.00	(8) रिक्रुमेंन्ट फण्ड	832660.00		
371675.00	(9) गोदाम ग्रीड पीडीएस	371675.00		
17585054.97	(10) बोनस देय	13581560.97		
410673.00	(11) सस्पेंन्स बीज निगम	410673.00		
2495871.53	(12) ग्रेज्यूटी पेयबल	1804242.53		
10213.00	(13) अर्नेष्ट मनी	10213.00		
66904214.00	(14) गेज्यूटी विनियोजित एलआईसी	85543959.87		
2754442.34	(15) आडिट फीस	2135023.86		
0.00	(16) वाणिज्य कर			
3704.00	(17) सर्विस टैक्स	18844.00		
8308059.08	(18) T.D.S.PAYBEL(SUSPENCE	5248877.04		
5741837.00	(19) अमानत ग्यांरटी	6254887.00		
206431.00	(20) हीरक जंयती	206431.00		
945326.02	(21) आयकर पेयबल	1230191.03		
623900.00	(22) निविधा धरोहर	350850.00		
15456657.69	(23) प्रबंध व्यय जमा शेष	22926866.97		
390716.00	(24) एस0डी0 डिपाजिट	443153.00		
65000.00	(25) अनुदान प्रतिष्ठा योजना	65000.00		

गत वर्ष की राशि	सम्पत्ति एवं अस्तियां	राशि	राशि	राशि
	कीमत 42939026.08			
	अवक्षयण (–) 6809378.00			
	36129648.08			
17528572.10	**(11) साज सज्जा**	17000630.24	**17000630.24**	**17000630.24**
	कीमत 42121738.24			
	अवक्षयण (–)25121108.00			
	17000630.24			
26427.00	**(12) कम्प्यूटर स्टॉक**	1702614.50	**1702614.50**	**1702614.50**
	कीमत 28540748.36			
	अवक्षयण (–) 26838133.86			
	1702614.50			
1297373.00	**(13) वाहन**	2160649.96	**2160649.96**	**2160649.96**
	कीमत 8451707.96			
	अवक्षयण (–) 6291058.00			
	2160649.96			
270093047.91	**(14) अन्य सम्पत्तियां**		**268210313.97**	**268210313.97**
1033133.82	(1) स्टेशनरी सोसायटी	1189461.16		
54481.99	(2) लायब्रेरी	54481.99		
1759718.85	(3) लेनदारियां	1694600.87		
7019721.56	(4) अन्य लेनदारियां	6967967.86		
581753.00	(6) अपलेखन योग्य राशि	1414254.00		
42259.00	(7) SAL UN POSTED	40659.99		
66904214.00	(8) ग्रेच्युटी लेना शेष एलआयसी	85543959.87		
1380747.56	(9) DEAF TRF TO RBI	1500830.56		
168964256.00	(10) आयकर प्राप्ती योग्य	132008812.00		
565131.79	(11) स्टेशनरी	423808.65		
19526479.54	(12) टी.सी.एस.डिफरेंन्स	19580029.54		
248650.80	(13) सस्पेंस ACC	80000.00		
0.00	(14) NEFT SUSPENCE	0.00		
0.00	(15) G.S.T.PAID	0.00		
0.00	(16) नाबार्ड OPEX	301590.60		
0.00	(17) T.D.S.BANK ACC	0.00		
0.00	(18) OFF BLANCE SHEET DIFFRENCE	11495656.88		
2012500.00	(19) शासकीय प्रतिभुति प्रीमियम	5914200.00		
0.00	(20) म0प्र0 बीज उत्पादन	0.00		
19142844378.24	**महायोग**			**18435369975.35**

सांख्यिकीय प्रभारी

प्रबंधक (लेखा)

प्रबंध संचालक

प्रशासक
जिला सहकारी कैन्द्रीय बैंक
मर्या0 मन्दसौर

मे0 वी.के. लढा एण्ड एसोसिएट्स, उज्जैन
(चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस)
सी.ए. कामिनी रवि मेहरवाल (सदस्यता न. 406132)
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002301 C

गत वर्ष की राशि	पूंजी एवं देनदारिया	राशि	राशि	राशि
26927.00	(26) प्रोफैशनल टेक्स	27427.00		
39668.00	(27) म0प्र0 राज्य कृषि विप0 बोर्ड	39668.00		
0.00	(28) एनसीडीसी गोदाम निमार्ण	0.00		
307148.39	(29) प्रधान कार्यालय के ड्राफ्ट भुगतान योग्य	543201.78		
344868.11	(30) LOCAL BANK. ACC	344868.11		
724000.00	(31) चिकित्सा व्यय क्षतिपूर्ति	724000.00		
1132124.00	(32) देय प्रशा0 शुल्क	1132124.00		
700000.00	(33) कम्प्यूटर व्यय पेयबल	700000.00		
73572538.00	(34) संस्थाओं को लाभाशं पेयबल	73572538.00		
107573960.00	(35) ब्याज अनुदान 2 प्रतिशत	97956141.00		
3747262.75	(36) पांचवा वेतनमान कटोत्रा	3747262.75		
3431972.00	(37) आई0सी0डी0पी0	3056097.00		
11143.00	(38) लेबर वेल फेयर टैक्स	14390.00		
712394.40	(39) वैधनाथ कमेटी	712394.40		
780292.57	(40) आई0सी0डी0पी0 बांच	780292.57		
496000.00	(41) आई0सी0डी0पी0 अनुदान	496000.00		
1636728.00	(42) सस्पेंस ACC	868886.00		
589280.21	(43) OFF BLANCE SHEET DIFFRENCE	0.00		
219120.00	(44) SAL UN POSTED CR	115684.71		
1380747.56	(45) DEAF TRF TO RBI	1500830.56		
3606366.00	(46) एनसीडीसी अनुदान	3606366.00		
354618.07	(47) ATM &LOCAL ITEM	268778.22		
16379022.74	(48) NEFT SUSPENCE	932313.62		
0.00	(49) सस्पेंस अन्य	404629.81		
3512000.00	(50) COP.RESEARCH FUNDS	3618000.00		
96050.00	(51) नाबार्ड FLCS	96050.00		
219486.40	(52) नाबार्ड OPEX.	0.00		
52288993.08	(53) टी.सी.एस.डिफरेंन्स	52302952.08		
54173048.90	लाभ	0.00	**56238716.80**	**56238716.80**
238980522.35	गत वर्ष का लाभ	54173048.90		
16610526.55	वर्ष 2020.21 का लाभ	18675667.90		
255591048.90	**योग**	72848716.80		
201418000.00	वितरण लाभ(–)	16610000.00		
54173048.90	योग	56238716.80		
19142844378.24	**महायोग**			**18435369975.35**

सांख्यिकीय प्रभारी | प्रबंधक (लेखा) | प्रबंध संचालक

प्रशासक
जिला सहकारी कैन्द्रीय बैंक
मर्या0 मन्दसौर

मे0 वी.के. लढा एण्ड एसोसिएट्स, उज्जैन
(चार्टड अकाउन्टेन्टस)
सी.ए. कामिनी रवि मेहरवाल (सदस्यता न. 406132)
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002301 C

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर

लाभ हानि पत्रक वर्ष 2020.21

गत वर्ष की राशि	व्यय का विवरण	राशि	राशि
1095406175.17	1. ब्याज दिया : अमानतों एवं ऋणों पर		1086991253.20
511199315.00	A. ऋण पर	375964489.00	
584206860.17	B. अमानतों पर	711026764.20	
0.00	C. ब्याज नाबार्ड	0.00	
0.00	D. ब्याज अपलेखन	0.00	
120642677.09	2. स्थापना व्यय	115569882.08	115569882.08
4821881.00	3. कार्यालय किराया बिजली,नल	5477542.04	5477542.04
5460507.00	4. अंशदान	6078717.00	6078717.00
1450820.70	5.प्रीन्टिंग एण्ड़ स्टेशनरी	2107479.83	2107479.83
1141920.81	6. वाहन खर्च	1793548.33	1793548.33
0.00	7. प्रशिक्षण व्यय	0.00	0.00
1184765.74	8. पोस्टेज एवं टेलीग्राम	1633925.54	1633925.54
13857484.72	9. बीमा	14899721.15	14899721.15
772025.00	10. कानूनी व्यय	237700.00	237700.00
1519800.00	11. अंकेक्षण शुल्क	1496836.00	1496836.00
4251108.36	12. अवक्षयण	4431295.00	4431295.00
29149118.20	13. अन्य व्यय	40431238.62	40431238.62
35000000.00	14. प्रावधान	23000000.00	23000000.00
16610526.55	15. शुद्ध लाभ	18675667.90	18675667.90
1331268810.34	योग लाभ–हानि	**1322824806.69**	**1322824806.69**

सांख्यिकीय प्रभारी | प्रबंधक (लेखा) | प्रबंध संचालक

प्रशासक
जिला सहकारी कैन्द्रीय बैंक
मर्या0 मन्दसौर

मे0 वी.के. लढा एण्ड एसोसिएट्स, उज्जैन
(चार्टड अकाउन्टेन्टस)
सी.ए. कामिनी रवि मेहरवाल (सदस्यता न. 406132)
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002301 C

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर

लाभ हानि पत्रक वर्ष 2020.21

गत वर्ष की राशि	आय का विवरण	राशि	राशि
1321169083.37	**1.ब्याज प्राप्त**		1298677859.13
1081138170.37	A. कर्ज पर	1056732125.47	
86352718.00	B. अमानतों पर	90509975.00	
153678195.00	C. विनियोग पर	151435758.66	
2102776.43	**2. कमीशन**	1573403.91	1573403.91
0.00	**3. अनुदान**	0.00	0.00
0.00	**4. अन्य आय :–**		22573543.65
370.00	1. प्रवेश शुल्क	215.00	
0.00	2. अंशो पर लाभांश	0.00	
1244195.00	3. लॉकर किराया	1405909.00	
92835.00	4. सर्विस चार्ज	73434.96	
5877791.01	5. अन्य आय	6204655.00	
706270.47	7. अन्य कमीशन	14806037.81	
0.00	8. वाहन विक्रय	0.00	0.00
75489.06	9. स्टेशनरी आय	83291.88	0.00
0.00		0.00	0.00
1331268810.34	**योग :–**	**1322824806.69**	**1322824806.69**

सांख्यिकीय प्रभारी　　　प्रबंधक (लेखा)　　　प्रबंध संचालक

प्रशासक
जिला सहकारी कैन्द्रीय बैंक
मर्या0 मन्दसौर

मे0 वी.के. लढा एण्ड एसोसिएट्स, उज्जैन
(चार्टड अकाउन्टेन्टस)
सी.ए. कामिनी रवि मेहरवाल (सदस्यता न. 406132)
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002301 C

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मैं कामिनी रवि मेहरवाल भागीदार मेसर्स वी. के. लढा एंड एसोसिएट्स, उज्जैन सनदी लेखापाल निम्न हस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षक प्रमाणित करती हूँ कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 5 दिनांक 19–07–1918 है, एवं भारतीय रिजर्व बैंक का लायसेंन्स कं. /ग्राआऋवि.40/2011.12 दिनांक 12 जनवरी 2012 है, जो नीमच–महू रोड मंदसौर पर स्थित है और जिसका तहसील व जिला मंदसौर है, का अंकेक्षण वर्ष 2020–2021 का संवैधानिक अंकेक्षण मध्यप्रदेश सहकारिता समितियाँ अधिनियम, पंजीयक, सहकारी समितियां म.प्र. भोपाल एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया गया। बैंक का पंजीयन प्रमाण–पत्र बैंक कार्यालय में उपलब्ध है।

मेरे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मंदसौर का 31 मार्च 2021 तक का स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ/हानि पत्रक जो उक्त दिनांक को समाप्त होने वाले लेखाओं से संबधित है की प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा भेजे गये प्रमाणित लेखाओं के आधार पर जॉच की गयी जो कि इन पत्रको से सम्मिलित किये गये है। अतः मेरे अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं लांग फार्म आडिट रिपोर्ट में उल्लेखित आक्षेपों को छोड़कर :–

1. बैंक का व्यवसाय आमतौर पर विधिवत उपनियमों के नियमों के अंतर्गत् तथा पंजीयक सहकारी समितियाँ भोपाल के प्रशासनिक निर्देशों के एवं बैंकिग रेग्यूलेशन एक्ट की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया ।
2. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक स्पष्ट है। आवश्यक सभी जानकारी जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति को दर्शाते हैं, उनका समावेश इनमें है। मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के संबंध में बताई गई है तथा जो खातों में दर्शायी गयी है उनका समावेश इन पत्रकों में है। आपत्तियाँ लांग फार्म रिपोर्टएवं अंकेक्षण प्रतिवेदन में बताई गई है।
3. आवश्यकतानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई है।
4. बैंक का समस्त व्यवहार व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अंतर्गत किया गया है।
5. अंकेक्षण हेतु जो भी प्रपत्र बुलाये गये सभी पूर्ण एवं पर्याप्त है।
6. लाभ हानि पत्रक शेष लाभ का सही चित्रण करता है।
7. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ–हानि पत्रक नियमों के अनुरूप बनाया गया है।

मेरे मत से बैंक की समस्त लेखा पुस्तिका आवश्यकता के अनुरूप रखी गयी हैं अतः मैं बैंक का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का परिपत्र कमांक राबैं/31स/प्रका./गालि/3257/जे. 1/2007–08, दिनांक 31 दिसम्बर 2007 के निर्देशों मे दी गयी कसौटियों के आधार पर "अ" वर्ग में वर्गीकृत प्रदान करती हूँ।

स्थान : मन्दसौर
दिनांक : 31.07.2021

मे. वी.के. लढा एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउंटेंटस्
कामिनी रवि मेहरवाल
(भागीदार)
सदस्यता नं. 406132
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.002301 C

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा म0प्र0

दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप ''स'' 31.03.2021 राशि

31.03.2020 (राशि रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2021 (राशि रू.)
50,00,00,000.00	**1. अंश पूँजी अधिकृत**	**50,00,00,000.00**	
	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश		
	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपयें 100.00 प्रति अंश		
	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश		
	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 10.00 प्रति अंश		
	''इ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 5.00 प्रति अंश		
	''फ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश		
45,67,40,903.00	**''अ'' प्रदत्त अंशपूजी**	**50,36,95,703.00**	**50,36,95,703.00**
10,23,99,990.00	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश	10,23,99,990.00	
35,42,96,870.00	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपये 100.00 प्रति अंश	40,12,51,670.00	
	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश		
44,043.00	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 10.00 प्रति अंश	44,043.00	
	''इ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 5.00 प्रति अंश		
	''फ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश		
45,67,40,903.00	**ब अभिदत्त अंशपूंजी**	**50,36,95,703.00**	**50,36,95,703.00**
10,23,99,990.00	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश	10,23,99,990.00	
35,42,96,870.00	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपये 100.00 प्रति अंश	40,12,51,670.00	
	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश	-	
44,043.00	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 10.00 प्रति अंश	44,043.00	
	''इ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 5.00 प्रति अंश		
	''फ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश		
45,67,40,903.00	**स उक्त में से धारित अंशपूजी**	**50,36,95,703.00**	**50,36,95,703.00**
35,42,96,870.00	''अ'' सहकारी संस्थाओं द्वारा	40,12,51,670.00	
10,23,99,990.00	''ब'' राज्य शासन द्वारा	10,23,99,990.00	
-	''स'' एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	-	
44,043.00	''द'' नाम मात्र	44,043.00	
44,75,62,887.88	**2. रक्षित कोष एवं अन्य निधियां**	**45,45,11,475.38**	**45,45,11,475.38**
5,91,20,948.25	**अ) वैधानिक कोष**	6,11,36,231.25	
2,07,31,669.25	**ब) भवन निधि**	2,07,31,669.25	
4,67,11,520.00	**स) कृषि साख स्थायीकरण निधि**	4,95,55,593.00	
3,11,147.00	**द) लाभांश समानीकरण निधि**	3,11,147.00	
26,84,713.17	**इ) विशिष्ट संदिग्ध एवं डूबंत निधि**	26,84,713.17	
20,63,884.30	फ) संदिग्ध एवं डूबंत ऋणार्थ निधि	20,63,884.30	
6,803.00	ज) विनियोग अवक्षयण निधि	6,803.00	
1,16,26,051.00	ह) पुनः पूंजीकरण खाता (वैधनाथन)	1,16,26,051.00	
	अन्य निधियां		
65,000.00	1. भंडार कोष	65,000.00	
3,630.00	2. चिकित्सा सहायता कोष	3,630.00	

31.03.2020 (राशि रू.)	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि रू.	31.03.2021 (राशि रू.)
11,47,08,894.29	1. रोकड	28,41,27,542.20	28,41,27,542.20
44,65,57,714.36	**2. बैंक बैलेन्स**	**76,82,40,852.72**	76,82,40,852.72
2,63,60,836.86	1. भारतीय स्टेट बैंक छिन्दवाड़ा	4,38,71,177.35	
23,419.02	2. भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली	23,419.02	
1,28,649.75	3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14,91,800.25	
19,76,98,110.26	4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	37,25,37,765.40	
77,196.77	5. महाराष्ट्रा को–आपरेटिव बैंक मुम्बई	77,196.77	
1,74,907.48	6. महाराष्ट्रा को–आपरेटिव बैंक नागपुर	1,74,907.48	
2,523.96	7. बेस्ट बेंगोल को–आपरेटिव बैंक कलकत्ता	2,523.96	
13,80,46,440.24	8. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक छिन्दवाड़ा	13,44,10,265.71	
92,66,629.11	9. आई.डी.बी.आई. बैंक छिन्दवाड़ा	2,26,60,905.32	
1,86,47,311.45	10. ऐक्सेस बैंक छिन्दवाड़ा	3,19,45,816.15	
2,94,61,036.40	11. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. जबलपुर	1,47,10,355.74	-
32,07,941.87	12. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल (एम.ए.एस.)	2,66,47,364.57	
-	13. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल	-	
14,75,513.75	14. बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	13,98,438.35	
9,54,854.66	15. एच.डी.एफ.सी.बैंक छिन्दवाड़ा	-	
1,27,47,919.83	16. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (आर.टी.जी.एस.)	9,70,75,840.18	
10,00,000.00	17. आई.सी.आई.सी.आई. बैक छि. (आई एम पी एस)	10,00,000.00	
62,84,422.95	18. आई.सी.आई.सी.आई.बैक छि. (ए टी एम)	1,96,08,624.47	
10,00,000.00	19. इंडसइंड बैंक	6,04,452.00	
35,26,33,221.00	**3. अन्य बैंकों में**	98,70,31,602.00	98,70,31,602.00
34,32,87,081.00	1. मुद्दति अमानत शीर्ष बैंक	45,37,66,539.00	
-	2. रक्षित निधि शीर्ष बैंक	-	
75,00,000.00	3. मुद्दति अमानत भारतीय स्टेट बैंक छिन्दवाड़ा	1,11,68,923.00	
-	4. मुद्दति अमानत आईडीबीआई बैंक	-	
18,46,140.00	5. मुद्दति अमानत अन्य बैंक	52,20,96,140.00	
-	**4. बैंको में मॉग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**	-	-
1,60,84,22,500.00	**5. विनियोग**	**1,66,17,52,500.00**	1,66,17,52,500.00
	''अ'' केन्द्रीय/राज्य शासन की प्रतिभूतियॉ		
1,44,33,15,000.00	1. पुस्तक मूल्य	1,49,33,42,500.00	
-	2. बाजार मूल्य	-	
-	3. आयुक्त कीमत	-	
-	''ब'' अन्य प्रतिभूतियों में		

31.03.2020 (राशि रू.)	विवरण पूंजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2021 (राशि रू.)
35,85,363.57	3. जीप कोष	35,85,363.57	
2,850.00	4. अंश प्राप्ति कोष	2,850.00	
23,28,813.81	5. कर्मचारी उपदान कोष	23,28,813.81	
23,29,800.00	6. आम लाभ कोष	23,29,800.00	
5,87,248.28	7. जोखिम कोष	5,87,248.28	
30,000.00	8. लाभांश कोष	30,000.00	
4,03,499.00	9. धर्मादा कोष	2,96,499.00	
4,480.00	10. संचालक प्रोत्साहन कोष	4,480.00	
1,304.25	11. वसूली उपहार कोष	1,304.25	
40,000.00	12. कर्मचारी मोटरसाईकल	40,000.00	
2,56,81,368.00	13. अंश विमोचन निधि	2,72,93,594.00	
1,40,00,000.00	14. संगणक कोष	1,40,00,000.00	
79,98,933.00	15. सहकारी विकास निधि	95,47,951.00	
66,39,896.00	16. प्रशिक्षण निधि	54,93,935.00	
87,87,079.00	17. एक्स ग्रेसिया / कर्मचारी लाभांश	87,87,079.00	
2,30,00,000.00	18. सीबीएस अनुसार संचित जमा राशि	2,30,00,000.00	
36,40,681.00	19. बचत बैंक निधि	37,41,018.50	
19,90,13,000.00	20. पुनर्मुल्यांकन निधि	19,90,13,000.00	
	21. अतिदेय ब्याज प्राप्त		
52,00,000.00	22. प्रोद्योगिकी अंगीकरण निधि	52,00,000.00	
9,63,206.00	23. सहकारी अनुसंधान एवं विकास निधि	10,43,817.00	
	24. अन्य अस्तियां प्रावधान		
	25. ऋण मुक्ति विलम्बित खाता प्रावधान		
	26. कैडर फण्ड प्रावधान		
	27. मानक अस्तियां हेतु प्रावधान		
	28. नान बैकिंग सम्पत्तियां हेतु प्रावधान		
	29. अन्तर शाखा समायोजन हेतु प्रावधान		
	30. अप्राप्त ब्याज हेतु प्रावधान		
	31. कोर बैकिंग सेवाऍ हेतु प्रावधान		
	3. राज्य भागीदारी मूल सहायक कोष	-	-
6,38,76,76,889.15	**4. अमानते एवं अन्य खाते**	**7,36,30,91,349.19**	**7,36,30,91,349.19**
	''अ'' मुद्दति अमानते खाता		
5,17,18,987.00	1. रिजर्व फण्ड समिति अमानत	5,49,51,424.00	
2,66,04,648.00	2. विशेष डूबन्त निधि अमानत	2,82,67,443.00	
	3. रिवाल्विंग फण्ड अमानत		
92,28,425.00	4. कर्मचारी जमानत खाता	98,24,335.00	
2,59,74,45,146.60	5. मुद्दति अमानत खाता व्यक्तिगत	2,99,50,27,765.50	
19,72,31,985.25	6. मुद्दति अमानत संस्थाएं	19,14,64,479.72	
55,04,06,444.00	7. मुद्दति अमानत समितियां	52,94,05,637.78	
	8. मुद्दति अमानत अन्य		
45,27,326.70	9. मुद्दति अमानत मैच्यौर्ड बट नाट पेड	45,00,333.69	
3,32,05,609.55	10. आर्वतक अमानत व्यक्तिगत	3,22,31,227.55	
18,000.00	11. आर्वतक अमानत संस्थाऐ / अन्य		
	12. आर्वतक अमानत अन्य		
	13. काल डिपाजिट खाता		
	14. दोहरी अमानत व्यक्तिगत		
	15. दोहरी अमानत संस्थाऐ		

31.03.2020 (राशि रू.)	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि रू.	31.03.2021 (राशि रू.)
99,97,500.00	''स'' अन्य सहकारी संस्थाओं	-	
	उक्त पद पांच के अतिरिक्त		
15,45,35,000.00	''द'' म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्या0 भोपाल	16,78,35,000.00	
1,00,000.00	''प'' भारतीय कृषक सह0 समिति नई दिल्ली	1,00,000.00	
4,75,000.00	''फ'' कृषक भारतीय सह0 समिति	4,75,000.00	
-	''भ'' कोर बैकिंग सिर्क्योटी राशि	-	
-	''म'' एम.पी.ई.व्ही. सिर्क्योटी	-	
7,49,55,50,522.13	**6. ऋण अग्रिम (शेष)**	**7,85,77,24,264.30**	7,85,77,24,264.30
7,23,08,47,741.39	''अ'' अल्पकालीन नगद साख एवं अधिविकर्ष	7,62,88,59,700.70	
-	इसमें से जो प्रतिभूतियां है	-	
-	इसमें से व्यक्तियों की ओर से रूपये	-	
-	शासकीय तथा अन्य प्रतिभूतियों से रूपये	-	
-	इसमें से संदिग्ध रूपये इसमें से डूबन्त रूपये	-	
19,25,28,690.84	''ब'' मध्यकालीन ऋण	15,74,53,431.47	
7,21,74,089.90	''अ'' दीर्घावधि ऋण	7,14,11,132.13	
	इसमें से जो प्रतिभूतियां है		
	इसमें से व्यक्तियों की ओर से रूपये		
	शासकीय तथा अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	इसमें से संदिग्ध रूपये इसमें से डूबन्त रूपये		
1,08,84,352.73	**7. प्राप्ति योग्य ब्याज**	1,08,66,735.22	1,08,66,735.22
	इसमें से जो व्यक्तियों की ओर से रूपये		
	इसमें से कालातीत रूपये		
	इसमें से संदिग्ध रूपये		
	इसमें से डूबन्त रूपये इसमें से अवमानक		
	कालातीत कृषक ऋण राहत		
40,92,013.66	**8. विनियोगो पर प्राप्ति योग्य ब्याज**	40,92,013.66	40,92,013.66
2,73,521.00	**9. वसूली योग्य विल्स प्राप्ति अनुसार**	2,73,521.00	2,73,521.00
-	**10. शाखा समायोजन**		-
20,43,70,522.15	**11. भूमि एवं भवन खाता**	20,43,70,522.15	
2,63,85,444.44	**12. फर्नीचर फिक्चर्स (डेड स्टाक सहित)**	2,73,67,400.58	
29,13,902.00	**13. जीप**	29,13,902.00	
-	**14. लीज ऑन लैण्ड**	-	
(2,29,42,716.39)	संचित अवक्षयण	(2,45,81,492.67)	21,00,70,332.06
1,43,13,53,824.57	**15. अन्य लेनदारियॉ**	**1,01,10,73,394.97**	1,01,10,73,394.97
-	1. आयकर प्राप्ति योग्य	-	
23,353.93	2. कर्मचारी अग्रिम खाता	23,353.93	
-	3. सण्ड्रीज डेबिटर्स	-	
-	4. पुस्तकालय	-	
98,07,284.10	5. कैडर फण्ड खाता	98,07,284.10	
30,52,442.56	6. स्कन्ध प्रपत्र एवं पंजिया	30,97,009.66	
-	7. नगदी कमी शिलक	-	
-	8. कैश इन ट्रांजिट	-	

31.03.2020 (राशि रू.)	विवरण पूंजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2021 (राशि रू.)
	16. दोहरी अमानत समितियां		
	17. दोहरी अमानत अन्य		
	18. अनक्लेम डिपाजिट खाता		
	''ब'' बचत खाता		
2,42,11,60,289.34	1. व्यक्तिगत खाता	2,98,42,27,322.00	
23,59,27,489.15	2. सहकारी अधिकोष	29,44,27,934.49	
15,76,83,987.45	3. अन्य संस्थाएं	14,38,62,309.81	
	''स'' चालू खाता		
2,31,98,132.28	1. व्यक्तिगत खाता	2,45,50,140.70	
1,17,47,916.40	2. सहकारी अधिकोष	1,39,86,955.97	
1,86,11,207.75	3. अन्य संस्थाएं	1,20,37,074.91	
4,89,61,294.68	4. सी.सी. / ओ.डी. में जमा शेष	4,43,26,965.07	
5,60,60,199.43	**''द'' अन्य अमानत**	2,76,24,769.10	2,76,24,769.10
4,86,765.00	1. जी.एस.एल.आई. क्लेम जबलपुर	4,86,765.00	
6,11,716.00	2. ग्रेच्युटी जमा	27,87,765.00	
5,45,61,231.43	3. अन्य जमा	2,40,66,734.10	
4,00,487.00	4. सुरक्षा जमा और निविदा	2,83,505.00	
3,13,69,18,747.68	**5. ऋण देय (BORROWING)**	2,99,77,18,747.68	2,99,77,18,747.68
50,88,64,077.98	1. रिजर्व बैंक / शीर्ष बैंक	88,64,077.98	
2,62,42,00,000.00	**''अ'' अल्पकालीन नगद साख एवं अधिविकर्ष**	2,98,50,00,000.00	
	1. इससे जो प्रतिभूतियां है		
	2. ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	3. अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	1. अल्पकालीन सामान्य		
	2. अल्पकालीन आदिवासी		
	3. मध्यावधि कनवर्सन		
	4. कैश केडिट गेहूँ खरीद		
	5. कैश केडिट धान खरीद		
	6. मुददति अमानत तारण ऋण शीर्ष बैंक		
	7. मुददति अमानत तारण ऋण केनरा बैंक छिंदवाड़ा		
	8. मुददति अमानत तारण ऋण यूनियन बैंक छिंदवाड़ा		
-	**''ब'' मध्यकालीन**		
	इससे जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	1. मध्यकालीन परिवर्तित सामान्य		
	2. मध्यकालीन परिवर्तित आदिवासी		
	''स'' राज्य शासन से		
	1. इससे से जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	अनुमोदित प्रतिभूतियों से रूपये		
	2. लम्बी अवधि का ऋण		
	इसस जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		

31.03.2020 (राशि रू.)	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि रू.	31.03.2021 (राशि रू.)
-	9. विविध ऋण खाता	-	
-	10. खादय निगम गेहूँ खरीद	-	
-	11. वेतन कृषक सहायक	-	
-	10. सर्विस टैक्स	-	
-	11. शीर्ष बैंक से प्रापणीय	-	
71,22,999.00	12. राज्य शासन से ऋण मुक्ति की लेय राशि	71,22,999.00	
-	13. इम्प्रेस्ट फार पोस्टेज	-	
-	14. अंशदान बचत बैंक	-	
74,95,084.33	15. एलपीजी–केडिट	9,12,27,746.06	
-	16. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकम	-	
4,29,835.50	17. एलआईसी–कमीशन	-	
1,20,353.19	18. टी.डी.एस. प्राप्ति योग्य		
-	19. बचत बैंक बीमा गारन्टी प्रापर्णीय	-	
-	20 आयकर अग्रिम भुगतान	-	
5,70,23,532.11	21. एन.ई.एफ.टी नेफ्ट	-	
-	22. एम.पी.ई.व्ही. सिक्योंटी	-	
2,24,465.20	23. बैंक प्रयोजन अग्रिम	2,79,163.20	
4,12,63,944.91	24. अन्य परिसम्पत्तियां (शाखाओं पर धोखाधड़ी और प्रवासन अंतर सहित)	19,81,80,305.42	
1,25,00,38,350.60	25. अन्य	64,93,25,989.97	
- 3,35,33,690.00	26. ए.टी.एम. क्लियरिंग सस्पेंस	- 4,77,59,523.00	
7,62,844.00	27. ब्याज प्राप्त होना शेष (डीआर बैलेन्स)		
3,55,302.76	28. ब्याज देना शेष (डीआर बैलेन्स)	3,55,302.76	
9,672.96	29. धोखाधड़ी खाता	9,672.96	
8,16,632.70	30. प्रविष्टी होना शेष	35,30,485.66	
2,23,88,056.66	31. अपलेखन खाता	2,23,88,056.66	
34,79,425.59	32. यूआईडी जमा राशि	53,76,348.49	
29,17,937.84	33. विनियोगो पर देय प्रिमियम राशि	26,76,756.24	
8,30,840.58	34. माईग्रेशन अंतर की राशि	8,30,840.58	
51,73,241.31	35. आईजीएसटी आईटीसी	75,79,299.46	
24,44,711.87	36. सीजीएसटी आईटीसी	33,04,018.41	
24,44,702.87	37. एसजीएसटी आईटीसी	33,02,485.41	
4,66,62,500.00	38. क्लेम फॉर लोरो (CLAIM FOR LORO)	5,04,15,800.00	
11,67,52,03,715.94	योग		**12,79,52,52,758.13**

नीरज जैन
प्रभारी
(लेखा कक्ष)

(ए.के. जैन)
प्रबंधक लेखा

के.के.सोनी
महाप्रबंधक

(एस डहेरिया)
प्रशासक एवं उप पंजीयक
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित,
छिन्दवाडा

सम तिथि की हमारी संलग्न के अनुसार
कृते ब्रिसका एंड एसोसिएट
(पूर्व .एल.के.माहेश्वरी एंड कंपनीद्ध
चार्टर्ड एकाउंटेट
एफ.आर.एन. 000780 सी

(अमित चितवार)
पार्टनर
407118
UDIN : 21407118AAAAFG4208

31.03.2020 (राशि रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2021 (राशि रू.)
	शासकीय तथा अन्य अनुमोदित		
	प्रतिभूतियों से रूपये		
	3. पैक्स मल्टी सर्विस सेन्टर		
	4. दीर्घकालीन आवास ऋण		
	5. गोदाम ऋण शीर्ष बैंक		
-	5. अन्य स्त्रोतो से ऋण	-	
15,63,586.00	7. आई.सी.डी.पी. छिंदवाड़ा	15,63,586.00	
22,91,083.70	8. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल	22,91,083.70	
	''द'' मध्यकालीन ऋण शासन		
	1. मध्यकालीन शासन		
	2. पहुंचविहीन सहायता शासन से		
	3. कोल माइन्स कमिशनर से		
2,73,721.00	6. वसूली योग्य बिल प्राप्ति अनुसार	2,73,721.00	2,73,721.00
80,86,353.07	7. शाखा समायोजन	3,08,47,109.42	3,08,47,109.42
40,000.00	8. अतिदेय ब्याज रिजर्व	40,000.00	40,000.00
35,05,12,537.49	9. ब्याज देय खाता	35,71,23,860.98	35,71,23,860.98
73,98,74,163.11	10. अन्य देनदारियां	**97,18,28,592.67**	97,18,28,592.67
	1. विल्स पेयेबुल खाता		
3,84,00,852.30	2. सभी प्रकार (अस्थाई खाता + अन्य जमा)	6,17,55,629.46	
	3. म0प्र0 राज्य सह0 विप0 संघ		
28,178.00	4. अंश आवेदन	22,178.00	
	5. आगमित बिल संकलित खाता		
	6. अवितरित ऋण अनुदान		
(4,000.00)	7. अर्नेस्ट मनी	(4,000.00)	
2,43,476.00	8. एल.आई.सी.–केडिट (PMJJBY)	5,23,066.00	
6,53,479.48	9. कर्मचारी भविष्य निधि	6,05,594.48	
	10. प्रत्याभूति बन्ध पत्र		
	11. ग्रुप इन्श्योरेश खाता		
40,135.00	12. जीवन बीमा	39,535.00	
-	13. एनआईए–केडिट	-	
	14. सूखाग्रस्त क्षेत्रों को खाद्यान्न वित0अग्रिम		
-	15. डी0डी0 पेयेबुल खाता	-	
	16. आई.सी.डी.पी. छिंदवाड़ा से अनुदान प्राप्त		
	17. लिंक समितियों को शासन से क्षतिपूर्ति सहायता		
(1,226.00)	18. सर्विस टैक्स	7,58,094.70	
35,25,331.00	19. टी.डी.एस.	25,45,000.00	
	20. अंकेक्षण शुल्क देय	3,00,000.00	
	21. सेल कलेक्शन बीज		
-	22. ओ.डी. नेफ्ट		
	23. म0प्र0 राज्य कृषि विप0 बोर्ड		
	24. पूल फण्ड		
	25. काम के बदले अनाज योजना		
	26. सूखा प्रभावित कृषको को अनुदान		

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा (म0प्र0)

दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप ''स''

हानि–लाभ पत्रक 2020–2021

31.03.2020 (राशि रू.)	विवरण हानि	राशि रू.	31.03.2021 (राशि रू.)
65,32,85,120.72	1. ब्याज दिया		**63,21,81,212.22**
40,13,16,321.03	''अ'' ब्याज दिया अमानतो पर	**44,47,01,204.22**	
25,11,25,835.00	''ब'' ब्याज दिया ऋणो पर	**18,25,84,776.00**	
8,42,964.69	''स'' निधि पर ब्याज	**48,95,232.00**	
10,72,76,543.81	**2. स्थापना व्यय**	**10,05,42,519.24**	**10,05,42,519.24**
7,08,42,654.46	1. वेतन उपवेतन	**6,49,48,215.68**	
74,57,854.00	2. भविष्य निधि योगदान	**65,57,996.00**	
1,00,000.00	3. कर्मचारी ग्रेच्युटी प्रीमियम भुगतान	**5,00,000.00**	
73,118.00	4. कर्मचारी यात्रा भत्ता	**22,090.00**	
3,64,597.38	5. डाकतार टेलीफोन व्यय	**2,51,744.96**	
25,25,599.90	6. प्रिंटिग एवं स्टेशनरी व्यय	**17,26,209.78**	
2,15,000.00	7. विधि सलाहकार व्यय	**2,36,989.74**	
98,48,737.60	8. किराया कर बीमा प्रकाश व्यय	**1,34,11,034.74**	
7,78,799.06	9. अंकेक्षण शुल्क	**51,300.00**	
	10. अन्य व्यय		
4,63,304.80	''अ'' प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन	**5,70,892.85**	
5,92,274.14	''ब'' जीप डीजल मरम्मत व्यय	**3,85,371.08**	
43,08,843.13	''स'' विविध व्यय खाता	**40,73,090.53**	
	''द'' वर्दी व्यय		
-	''इ'' संघ चन्दा व्यय	-	
2,07,297.00	''फ'' डेड स्टाक मरम्मत	-	
5,15,061.46	''ग'' जीप किराया	**5,90,669.26**	
11,53,261.48	''ह''. भवन मरम्मत व्यय	**5,47,019.62**	
78,30,141.40	''ह''. कोर बैकिंग सॉफटवेयर फीस	**66,69,895.00**	
12,02,564.77	**3. अवक्षयण**	**16,38,776.28**	**16,38,776.28**
-	1. डेड स्टाक पर	-	
2,94,083.10	2. वाहन पर	**3,23,685.39**	
65,063.00	3. भवन पर	**58,557.00**	
8,43,418.67	4. फर्निचर पर	**12,56,533.89**	
-	5. जमीन लीज	-	
22,64,686.00	**4. कैडर फण्ड अंशदान**	-	-
-	**5. प्रायर पीरियड आयटम व्यय**	-	-
13,03,88,329.95	**6.दुर्बल अस्तियो हेतु प्रावधान**	13,71,00,000.00	13,71,00,000.00
	7. कोर बैकिंग सेवाऍं हेतु प्रावधान		-
	8. वेतन देय हेतु प्रावधान		-
	9. पूर्व वर्ष आयकर समययोजन	**3,42,88,408.00**	**3,42,88,408.00**
	10. एफ.बी.टी. टैक्स		-
	11. ग्रेच्युटी प्रावधान		-

31.03.2020 (राशि रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2021 (राशि रू.)
	27. धान खरीदी सकंलन		
	28. कृषि प्रोत्साहन		
	29. मध्यान्ह भोजन चावल कमीशन		
	30. ऋण माफी/राहत राशि		
	31. कैश केडिट/अल्पावधि केडिट बैलेन्स		
	32. बचत बैंक बीमा गारन्टी योजना		
	33. टी.डी.एस. प्राप्ति योग्य		
-	34. प्रोफेश्नल टैक्स	-	
1,00,597.00	35. परिवार कल्याण कोष	1,08,906.00	
7,16,630.00	36. मार्जिन मनी	7,16,630.00	
12,256.73	37. सी.जी.एस.टी देय (आर.सी.एम)	12,256.73	
-	38. आई.जी.एस.टी. देय		
12,256.73	39. एस.जी.एस.टी देय (आर.सी.एम)	12,256.73	
	41. ब्याज देय		
2,168.49	42. इफको फर्टिलाईजर	2,168.49	
	43. आई.डी.बी.आई. से उधार ग्रहण		
24,73,288.53	44. एटीएम पीओएस समाशोधन	5,61,15,114.49	
9,57,368.00	45. प्रविष्टि होना शेष	14,75,070.40	
64,14,10,697.95	46. अनुप्रयोज्य आस्तियों एवं अन्य अस्तियो के प्रावधान	80,50,33,558.85	
2,47,79,813.00	47. प्रयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान	2,47,79,813.00	
2,65,22,860.90	48. दुर्बल अस्तियो एवं अन्य अस्तियो के प्रावधान	1,62,91,678.52	
-	49. आयकर प्राबधान		
-	50. लाभ पार्किंग खाता (पिछला वर्ष)	-	
2,29,805.21	51. सी.जी.एस.टी देय	3,57,723.56	
2,29,805.21	52. एस.जी.एस.टी देय	3,57,723.56	
	53. आई.जी.एस.टी देय	20,594.70	
9,09,97,703.71	**11. संचित लाभ खाता**	8,84,97,429.71	8,84,97,429.71
	9,09,97,703.71		
	28,20,073.00		
	12. विनियोजन		
	53,20,347.00		
11,67,52,03,715.94	**योग**		**12,79,52,52,758.13**

नीरज जैन
प्रभारी
(लेखा कक्ष)

(ए.के. जैन)
प्रबंधक लेखा

के.के.सोनी
महाप्रबंधक

(एस डहेरिया)
प्रशासक एवं उप पंजीयक
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित,
छिन्दवाडा

सम तिथि की हमारी संलग्न के अनुसार
कृते ब्रिसका एंड एसोसिएट
(पूर्व .एल.के.माहेश्वरी एंड कंपनीद्ध
चार्टर्ड एकाउंटेट
एफ.आर.एन. 000780 सी

(अमित चितवार)
पार्टनर
407118
UDIN : 21407118AAAAFG4208

31.03.2020 (राशि रू.)	विवरण हानि	राशि रू.	31.03.2021 (राशि रू.)
	12. अन्य आस्तियों हेतु प्रावधान	**1,62,91,678.52**	**1,62,91,678.52**
-	13. मानक आस्तियों हेतु प्रावधान		-
18,56,142.00	14. संदिग्ध डूबन्त हेतु प्रावधान		-
	15. अप्राप्त ब्याज हेतु प्रावधान		-
-	16. आयकर प्राबधान	**37,85,823.00**	**37,85,823.00**
-	17. अंकेक्षण शुल्क हेतु प्रावधान		**3,00,000.00**
17,96,597.00	18. कषि समामेलप हेतु प्रावधान		
36,08,303.00	19. सोसायटी फण्ड हेतु प्रावधान		
5,27,297.00	20. LOSS ON SALE NOT VEHICLE		
80,61,130.40	18. लाभ खाता	**28,20,073.00**	28,20,073.00
91,02,66,714.65	योग		**92,89,48,490.26**

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा (म0प्र0)

दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप ''स''

हानि–लाभ पत्रक 2020–2021

31.03.2020 (राशि रू.)	क0 विवरण लाभ	राशि (रू)	31.03.2021 (राशि रू.)
89,75,06,718.98	1. ब्याज प्राप्त खाता		91,07,74,464.38
71,29,11,599.57	''अ'' ब्याज प्राप्त ऋणों पर	74,13,35,520.12	
18,45,95,119.41	''ब'' ब्याज प्राप्त विनियोगों पर	16,94,38,944.26	
14,25,852.58	2. लाभांश प्राप्त अंशो पर	1,60,000.00	1,60,000.00
17,17,413.50	3. कमीशन एवं विनियम दलाली	46,97,045.28	46,97,045.28
-	4. जीप खाता	-	-
1,600.00	5. लाकर्स किराया	79,600.00	79,600.00
21,09,400.00	6. अन्य आय	45,84,131.00	45,84,131.00
61,92,696.90	7. प्रवेश, प्रशा.,मूल्यां,नेफट, क्लोजर चार्ज	69,00,345.60	69,00,345.60
13,13,032.69	8. प्रायर पीरियड आयटम	17,52,904.00	17,52,904.00
91,02,66,714.65	योग		92,89,48,490.26

नीरज जैन
प्रभारी
(लेखा कक्ष)

(ए.के. जैन)
प्रबंधक लेखा

के.के.सोनी
महाप्रबंधक

(एस डहेरिया)
प्रशासक एवं उप पंजीयक
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित,
छिन्दवाडा

सम तिथि की हमारी संलग्न के अनुसार
कृते ब्रिसका एंड एसोसिएट
(पूर्व .एल.के.माहेश्वरी एंड कंपनीद्ध
चार्टर्ड एकाउंटेट
एफ.आर.एन. 000780 सी

(अमित चितवार)
पार्टनर
407118
UDIN : 21407118AAAAFG4208

अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में खोले जा रहे हैं जनजातीय बंधुओं के विकास के नए द्वार - राज्यपाल श्री पटेल

भोपाल : "पूजे न शहीद गए तो फिर यह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कह कर, मिट्टी माथे से कौन लगाएगा।" इन शब्दों के उच्चारण के साथ इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय गौरव एवं अस्मिता के प्रतीक जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया।

स्मृति कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जननायक टंट्या मामा के स्मृति में चलाई गई गौरव कलश यात्रा का स्वागत एवं पूजन किया। उन्होंने क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या मामा के वंशजों को नमन कर उनका सम्मान भी किया।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। राज्यपाल श्री पटेल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जननायक टंट्या मामा की स्मृति तथा उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि टंट्या मामा के बलिदान को समर्पित गौरव कलश यात्रा हजारो किलोमीटर घूम कर आज इंदौर आई। इस यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए, यह स्वयं ही टंट्या मामा की प्रसिद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के हित और सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दिन-रात प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से जनजातीय बंधुओं के विकास के लिए नए द्वार खोले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टंट्या मामा के नाम से इंग्लैंड तक अंग्रेज डरते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के जननायक टंट्या मामा ने गरीबों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध हथियार उठाए। देश की आजादी के लिए टंट्या मामा जैसे जनजातीय वीर जिन्होंने अपने शरीर के खून की अंतिम बूंद समर्पित कर दी, उन्हें आज याद करने का वक्त है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में आज से "पेसा एक्ट" लागू किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित वनवासी बंधुओं को स्वयं अधिसूचना पढ़कर सुनाई और कहा कि अधिसूचना के प्रावधानों में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए यह एक्ट आज प्रदेश में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवास कर रहे वनवासी जिनके दिसम्बर 2006 से पूर्व के वन अधिकार के कब्जे अभी तक नहीं दिए गए हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा दिए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में फिर से एक अभियान चलाया जाएगा। कोई भी जनजातीय अब अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी जनजातीय बंधु अब परेशान नहीं होगा। छोटे-मोटे कानूनी मामलों के चलते पुलिस और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। उन्होंने घोषणा की कि जिन जनजातीय लोगों पर छोटे-मोटे मामूली प्रकरण चल रहे हैं उन सभी को वापस लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश में जिन जनजातीय भाई-बहनों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें आवास बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिया जाएगा। मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी जनजातीय बंधु बिना जमीन या मकान के नहीं रहेगा। इसके लिये मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लागू करेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय भाई-बहनों को अब राशन के लिए दूरदराज गाँव जाकर पूरा दिन व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि "राशन आपके ग्राम" योजना में राशन हर गाँव के घर-घर तक पहुँचाया जाएगा। राशन पहुँचाने के लिए सरकारी वाहनों के बजाय जनजातीय युवाओं को सरकार द्वारा बैंक से वाहन फाइनेंस करवाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक लाख बैकलॉग के पदों पर भर्ती कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में उद्योग लगाने के लिए युवाओं को 50 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाएगा। इस लोन में बैंकों को गारंटी भी सरकार देगी और ब्याज पर 3 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा रोजगार का निर्माण करने वाले युवा बनेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर संभाग के सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए नर्मदा का जल पहुँचाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में नहरों से पानी नहीं पहुँच पा रहा हैं, वहाँ कपिलधारा योजना में कुएँ खुदवाकर पानी पहुँचाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी ताकि जनजातीय बहनों के घरों तक नल से जल पहुँचाया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन जनजातीय बंधुओं के विकास का अभियान चला रही है। इसमें शोषण से मुक्ति का अभियान भी चलाया जाएगा। बिना लाइसेंस अधिक ब्याज पर जिन सूदखोरों द्वारा 5 अगस्त 2020 तक जनजातीय बंधुओं को पैसे दिए गए हैं, ऐसे कर्ज़ों को अब माफ किया जाएगा। यदि सूदखोरों द्वारा गरीबों को फिर भी प्रताड़ित किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जननायक टंट्या मामा बलिदान दिवस स्मृति कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल श्री पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) के अनुभाग/ तहसील कार्यालय का नामकरण "क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या भील प्रशासनिक संकुल डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)" करते हुए नवनिर्मित संकुल का वर्चुअल अनावरण एवं पर्यटन विभाग द्वारा पातालपानी क्षेत्र के उन्नयन हेतु स्वीकृत विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया। राज्यपाल श्री पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित टंट्या मामा के जीवनकाल पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में जनजातीय कलाकार श्री आनन्दीलाल भावेल द्वारा गाये गये जनजातीय गीत पर मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं मंच पर उपस्थित मंत्री एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों ने नृत्य भी किया।

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और खजुराहो सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। गृह एवं इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, सांसद श्री शंकर लालवानी सहित विधायक, जन-प्रतिनिधि,सहित बड़ी संख्या में जनताजीय समुदाय के लोग उपस्थित रहे। जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने आभार प्रकट किया।

B R I S K A& ASSOCIATES
(Formerly L.K. Maheshwari& Co.)
CHARTERED ACCOUNTANTS

E-7/574, Arera Colony,
Opp. 1100 Quarters,
BHOPAL (M.P.) – 462 016
PH. : (0755) 2462467, 2462468, 246269
Fax No.: (0755)-2980441
E-mail : lkmandcobpl@gmail.com
Website : www.lkmandco.com

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

अंकेक्षण वर्गीकरण पैमाना संलग्नक के आधार पर प्राप्त अंको के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता हैं की जिला सहकारी बैंक मर्यादित, छिन्दवाडा को वर्ष **2020-21** के लिए **"बी"** श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता हैं।

उपरोक्त वर्गीकरण हमें प्रदत्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण एवं सम्बंधित संलग्नक /परिशिष्ट के आधार पर जारी किया गया हैं जो हमारे अंकेक्षण टिप्पणियाँ एवं आक्षेप जिसका उल्लेख स्वतंत्र लेखा परीक्षा ,लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एल. एफ. ऐ .आर), संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं अंकेषित वित्तीय विवरणों में किया गया हैं।

ब्रिस्का & एसोसिएट्स
(पूर्व में एल & .के .माहेश्वरी कंपनी)
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन - 000780C

अमित चितवार
एम.आर.एन - 407118
सांझेदार

दिनांक: 06.08.2020
UDIN: 21407118AAAAFG4208

पशु एवं मछली पालकों को 15 फरवरी तक जारी होंगे किसान क्रेडिट कार्ड

इंदौर। अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री जे.एन. कंसोटिया ने बताया कि केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 15 नवम्बर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक "नेशनवाइड एनिमल हस्बेंडरी डेयरी एवं फिशरीज़ केसीसी केम्पैन" चलाया जा रहा है। प्रदेश में भी केसीसी अभियान शुरू किया गया है। इसमें पशुपालन गतिविधियों के लिये प्रदेश के 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिये सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। केसीसी अभियान में प्रदेश के सभी पात्र पशुपालकों और दुग्ध उत्पादक संगठनों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएँगे।

श्री कंसोटिया द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को शिविर आयोजित कर जाँच-परख कर आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की जागरूकता और अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये आत्मा (एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी मेनेजमेंट एजेंसी), कृषि विज्ञान केन्द्र, एसआरएलएम, एनआरएलएम, पंचायत, कृषि, राजस्व आदि विभाग की भी मदद ली जाए। जिला स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के लिये केसीसी समन्वय समिति गठित की जा रही है। समिति में अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक समन्वयक और समस्त बैंकों के जिला स्तर के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिलों में पदस्थ पशुपालन एवं डेयरी उप संचालक नोडल अधिकारी होंगे। सहकारी दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी, उप संचालक से समन्वय स्थापित कर दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित पशुपालकों के आवेदन शिविर में प्रस्तुत करेंगे। वहीं दुग्ध संघ से इतर अन्य पशुपालकों के आवेदन उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी प्रस्तुत करेंगे। शिविर में सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

प्राप्त आवेदन का चेकलिस्ट अनुसार मिलान कर पूर्ण पाए जाने पर आवेदक को पावती दी जाएगी। वहीं कमी रहने पर आवेदक को लिखित में अवगत कराया जाएगा। सही आवेदनों का निराकरण 15 दिवस के भीतर हो जाएगा। अभियान की निगरानी के लिये प्रति सप्ताह डीएलसीसी और बीएलबीसी बैठक का आयोजन करने और सम्पूर्ण कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

गेहूं के अधिक उत्पादन के लिए ध्यान देने योग्य बातें

● देरी से बुवाई के लिये एच.डी. 2932, पूसा 111, डी.एल. 788-2 विदिशा, पूसा अहिल्या, एचआई 1634, जे.डब्ल्यू. 1202, जे.डब्ल्यू. 1203, एम.पी. 3336, राज. 4238 इत्यादि प्रजातियों की बुवाई करें तथा बोवनी 31 दिसम्बर तक अवश्य कर दें।

● बुवाई के बाद खेत में दोनों ओर से आड़ी तथा खड़ी नालियाँ प्रत्येक 15-20 मीटर पर बनायें तथा बुवाई के तुरन्त बाद इन्हीं नालियों द्वारा बारी- बारी से क्यारियों में सिंचाई करें।

● गेहूं के लिए सामान्यत: नत्रजन, स्फुर व पोटाश-4:2:1 के अनुपात में दें। असिंचित खेती में 40:20:10, सीमित सिंचाई में 60:30:15 या 80:40:20, सिंचित खेती में 120:60:30 तथा देर से बुवाई में 100:50:25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुपात में उर्वरक दें। सिंचित खेती की मालवी किस्मों को नत्रजन, स्फुर व पोटाश 140:70:35 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर दें।

● देरी से बुवाई में नत्रजन की आधी मात्रा तथा स्फुर व पोटाश की पूर्ण मात्रा बुवाई से पहले मिट्टी में 3-4 इंच ओरना चाहिये। शेष नत्रजन पहली सिंचाई के साथ दें।

● खेत के उतने ही हिस्से में यूरिया का भुरकाव करें, जितने में उसी दिन सिंचाई दे सकें। जहाँ तक संभव हो यूरिया बराबर से फैलायें। यदि खेत पूर्ण समतल नहीं है तो यूरिया का भुरकाव सिंचाई के बाद, जब खेत में पैर धंसने बंद हो जायें तब करें।

● सिंचाई समय पर, निर्धारित मात्रा में तथा अनुशंसित अंतराल पर ही करें।

● गेहूं की अगेती खेती में मध्य क्षेत्र की काली मिट्टी तथा 3 सिंचाई की खेती में पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद, दूसरी 35-45 दिन तथा तीसरी सिंचाई 70-80 दिन की अवस्था में करना पर्याप्त है। पूर्ण सिंचित समय से बुवाई में 20-20 दिन के अन्तराल पर 4 सिंचाई करें। देरी से बुवाई में 17-18 दिन के अन्तराल पर 4 सिंचाई करें।

● बालियाँ निकलते समय फव्वारा विधि से सिंचाई न करें अन्यथा फूल खिर जाते हैं, झुलसा रोग हो सकता है। दानों का मुंह काला पड़ जाता है व करनाल बंट तथा कंडुवा व्याधि के प्रकोप का डर रहता है।

● पाले की संभावना हो तो इससे बचाव के लिए फसलों में स्प्रिंकलर के माध्यम से हल्की सिंचाई करें, थायो यूरिया की 500 ग्राम मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिडक़ाव करें अथवा 8 से 10 किलोग्राम सल्फर पाउडर प्रति एकड़ का भुरकाव करें अथवा घुलनशील सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिडक़ाव करें अथवा 0.1 प्रतिशत व्यापारिक सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक का अम्ल का छिडक़ाव करें।

मछुआ कल्याण और मछली पालन के लिए जल्द लाई जाएगी संशोधित मछुआ नीति

मंत्री श्री सिलावट ने संशोधित नीति का ड्राफ्ट बनाने के दिए निर्देश

संशोधित नीति में जनजातीय समाज को मिलेगी विशेष सुविधा

भोपाल : जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य-विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में मछुआरों की आर्थिक उन्नति, जनजातीय भाइयों को विशेष अधिकार और मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए संशोधित मछुआ नीति बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की मछुआ नीति का अध्ययन भी करें और उनके हितकारी बिंदुओं को ड्राफ्ट में शामिल किया जाए। साथ ही विशेषज्ञों की सलाह भी ली जाए।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मछली उत्पादन हो। इसके लिए जरूरी नीति और योजना बनाकर उनसे मछुआ समुदाय के युवाओं को जोड़ना होगा।

मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नई संशोधित नीति की जरूरत

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि नई नीति बनाकर मध्य प्रदेश को देश में मछली उत्पादन के क्षेत्र में नंबर वन बनाना है। इसके लिए मछली उत्पादन के लिए जरूरी व्यवस्थाएँ और जरूरी संसाधनों को सुलभ करवाना होगा। देश में अच्छा काम कर रही मछुआ पालन समितियों, मत्स्य पालकों, मत्स्य विभाग के पूर्व अधिकारियों की राय लेकर नई संशोधित नीति की ड्राफ्टिंग करनी होगी।

अन्य राज्यों से भी सीखने की जरूरत

मंत्री श्री सिलावट ने अधिकारियों से कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मछली पालन के क्षेत्र में अच्छा कर रहे समितियों को देखकर उनसे भी सीखने की जरूरत है। प्रदेश में बालाघाट ने देश में मछली उत्पादन में विशेष कार्य किया है। बालाघाट की समितियों को अगले सप्ताह भोपाल बुलाया जाए मैं स्वयं उनसे चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि मत्स्य-पालकों को जल्द से जल्द मछुआ क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। मंत्री श्री सिलावट ने मछुआ समाज के मेधावी छात्रों को भी सम्मानित करने के लिए जल्द से जल्द उनकी सूची तैयार करने को कहा।

नर्मदा घाटी में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मत्स्य-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के जलाशयों में मत्स्य-पालन भी रूपरेखा तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित सक्रिय समितियों को प्रोत्साहित किया जाए और निष्क्रिय समितियों को खत्म कर नई समिति का गठन किया जाए।

जनजातीय ब्लाक के लिए अलग से नीति बनाये

मंत्री श्री सिलावट ने प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक में रहने वाले जनजातीय समाज को मछली पालन से जोड़ने के लिए अलग से नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज पहले से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ा रहा है अब उनको भी मछली पालन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवाचार करने के भी निर्देश दिए।

रॉयल्टी बढ़ाने का लक्ष्य

द मत्स्य महासंघ के प्रबंध संचालक श्री पुरुषोत्तम धीमान ने बताया कि विभाग ने इस वर्ष 3.5 करोड़ की रायल्टी प्राप्त की गई है। श्री धीमान और विभाग के संचालक श्री भारत सिंह ने साढ़े तीन करोड़ की राशि का चेक मंत्री श्री सिलावट को सौंपा। मत्स्य महासंघ ने अगले वर्ष 6.5 करोड़ की रायल्टी का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता के गुण विकसित करना और निवेश के लिए सबसे आकर्षक राज्य बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

- **इज़ ऑफ डूईंग बिजनेस के साथ कॉस्ट ऑफ डूईंग बिजनेस की प्रकिया को भी बनाया जा रहा है**
- **अनुकूल निवेश की प्रक्रिया को गति देने प्रत्येक सोमवार का आधा दिन इंवेस्टर मीट के लिए निर्धारित**
- **प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों, लेंड अलॉटमेंट,निवेश और रोजगार में हुई है उल्लेखनीय वृद्धि**
- **मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021 को वर्चुअली किया संबोधित**

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा यह मानना है कि देश तभी आत्म-निर्भर बनेगा जब राज्य आत्म-निर्भर होंगे। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए चार बिंदुओं पर आधारित रोड मैप बनाया गया है। यह 4 बिंदु हैं भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार। इसके लिए अधोसंरचना और बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। साथ ही राज्य में इज ऑफ डूईंग बिजनेस का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। हमारा प्रयास है कि निवेशक प्रदेश में नियमों के मकड़ जाल में नहीं उलझे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के दो प्रमुख लक्ष्य हैं पहला, मध्यप्रदेश के नौजवानों में उद्यमिता के गुण का विकास करना, जिससे वे रोजगार मांगने वाले नहीं अपितु रोजगार देने वाले बनें और दूसरा–मध्यप्रदेश को निवेश के लिए सबसे आकर्षक राज्य बनाना। निवेशकों को प्रदेश में उपयुक्त वातावरण मिले, कोई समस्या न आए, इस उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार का फर्स्ट हॉफ हमने निवेशकों के साथ वन-टू-वन मीट के लिए निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा होटल ली मेरीडियन नई दिल्ली में आयोजित स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021 में मंत्रालय से वर्चुअली सहभागिता की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विजनरी नेता है। उनके नेतृत्व में गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना से संघर्ष की कठिन परिस्थिति में आपदा में अवसर को बदलने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्म-निर्भर भारत के निर्माण का मंत्र दिया है। इस दिशा में चलते हुए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए रोडमेप तैयार किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य में निवेशकों को निवेश के लिए बेहतर वातावरण देने के उद्देश्य से अटल एक्सप्रेस-वे और प्रदेश की पूर्व से पश्चिमी सीमा तक नर्मदा एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक केंद्र तथा औद्योगिक टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। शिक्षित और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में सीएम राइज स्कूल की व्यवस्था की गई है। 'स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज' की अवधारणा लागू की जा रही। इसमें 30 दिन में उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। निर्धारित की गई समय-सीमा को पब्लिक सर्विस डिलेवरी गारंटी से जोड़ा गया है। मध्यप्रदेश सरप्लस बिजली उपलब्ध कराने वाला प्रदेश है। प्रदेश में पानी, स्किल मेनपॉवर और मेन डेज़ लॉस नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश जल, वन और खनिज संपदा से भरपूर है। साथ ही यहाँ पर्याप्त जैव विविधता और भरपूर कृषि उत्पादन भी उपलब्ध है। प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता के विकास के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आरंभ की गई है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के युवा राज्य शासन के सहयोग से अपने उद्यम स्थापित करें और वे रोजगार करने के बजाए रोजगार देने वाली क्षमता विकसित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश, देश का फार्मा और गारमेंट हब है। अब हम प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। भारतमाला परियोजना के पहले चरण में इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड के दौर में हमारी औद्यिगिक इकाइयों में 2019 के मुकाबले में 2021 में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रीज को लैंड अलॉटमेंट के मामले में 33 प्रतिशत, प्रस्तावित निवेश में 67 प्रतिशत और रोजगार में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के सुधारों के सफल क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश अतिरिक्त ऋण राशि का लाभ लेने वाले प्रथम 5 राज्यों में है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वेस्टर्न रीजन में मध्यप्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे राज्य को 2,373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुआ है। औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए 'देवास निवेश क्षेत्र' तथा 'रतलाम निवेश क्षेत्र' बनाए गए हैं। देवास निवेश क्षेत्र लगभग 3,400 एकड़ तथा रतलाम निवेश क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 4,500 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है। चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का जाल बिछाने के लिए 16 क्लस्टर्स चिन्हित किए गए हैं। इनमें फर्नीचर, टेक्सटाईल, पॉवरलूम, टॉय, गुड़, नमकीन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केन्द्र सरकार से 13 क्लस्टर्स की स्वीकृति प्राप्त हुई है। लोकल को वोकल बनाने के लिए "एक जिला-एक उत्पाद" योजना में प्रदेश के हर जिले के लिए विशिष्ट उत्पादों का चयन कर लिया गया है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उत्पादन आदि में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। निर्यातकों को मार्गदर्शन एवं प्रचार-प्रसार के लिए एमपी ट्रेड पोर्टल एवं एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अग्रणी राज्यों में रहते हुए रेगुलेटरी कम्प्ल्यांस बर्डन (अनुपालन बोझ) को कम करने के लिए सफलतापूर्वक 1,896 सुधार लागू किए गए हैं। जीआईएस आधारित भूमि आवंटन प्रणाली के साथ आद्योगिक क्षेत्रों में ऑनलाइन भूमि आवंटन की प्रक्रिया लागू की गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ईज ऑफ़ डूईंग के साथ कॉस्ट ऑफ़ डूईंग बिजनेस की प्रक्रिया को भी अनुकूल बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को न्यूनतम दर पर बिजली देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश को गारमेंट हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2014 में अनेक आवश्यक संशोधन किए गए हैं। प्रदेश में गारमेंट सेक्टर में त्रिपुर और देश के अन्य क्षेत्रों से तेजी से निवेश आ रहा है। कोविड को देखते हुए ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में नवीन निवेश को आकर्षित करने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों एवं ऑक्सीजन उपकरण निर्माण इकाइयों के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है। मध्यप्रदेश ने अपनी इथेनॉल पॉलिसी जारी कर दी है। राज्य में लगभग 200 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष से अधिक का इथेनॉल उत्पादन अनुमानित है। कॉन्क्लेव में सहभागिता के लिए पीएचडी चेंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार माना गया।

भारत रत्न डॉ.अंबेडकर की पुण्य-तिथि पर सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

भोपाल : भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की पुण्य-तिथि पर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने भीमनगर भिंड में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, सामाजिक समरसता, न्याय के प्रणेता और महान समाज सुधारक थे। इस अवसर पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धकों का आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत पैक्स को बहुसेवा केन्द्र योजनान्तर्गत प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के द्वारा आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना के तहत पैक्स को बहुसेवा केंद्र योजनान्तर्गत एक दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, राज्य सहकारी संघ भोपाल के मार्गदर्शन में दिनांक 22.11.2021 एवं 23.11.2021 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जबलपुर, दिनांक 29.11.2021 एवं 30.11.2021 को सहकारी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर, दिनांक 01.12.2021 सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, दिनांक 01.12.2021 व 02.12.2021 एवं 03.12. 2021 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक उज्जैन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रकार कुल 08 सत्रों में कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 354 प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन एवं आयोजन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा दिनांक 19.11. 2021 को एक दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर के प्राचार्य, व्याख्याता, प्रशिक्षक एवं विभिन्न संस्था से आमंत्रित प्रशिक्षकों को आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय-विशेषज्ञों द्वारा विभागीय दिशा-निर्देश एवं परियोजना क्रियान्वयन, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना के तहत चयनित पैक्स को बहुउद्देशीय केन्द्रो के रूप में स्वीकृत परियोजना का क्रियान्वयन, परियोजना संचालन में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत चयनित पैक्स की परियोजना के डी.पी.आर. का विश्लेषणात्मक अध्ययन, लक्ष्य- पूर्ति एवं पुनर्भुगतान, कृषि सूचना एवं किसान सेवा केंद्र की जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में विषय-विशेषज्ञों के रूप में श्री आर. के. गंगेले, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अपेक्स बैंक, श्री नागेश चौरसिया, डी. डी.एम. नाबार्ड, श्री मुकेश भटनागर, से.नि.वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग, श्री संतोष येड़े,राज्य समन्वयक राज्य संघ भोपाल, श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षक सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, श्री ए.के. जोशी से.नि. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, श्री शशिकांत चतुर्वेदी से.नि. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर, श्री विजय बर्वे, प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर, श्री दिलीप मरमठ प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर, श्री शिरीष पुरोहित कम्प्यूटर प्रशिक्षक सहकारी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जबलपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष रूप से श्री पी. के. सिद्धार्थ, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री विरेश जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जबलपुर, श्री एस.सी. दहायत, वरिष्ठ सहकारी अंकेक्षण अधिकारी सहकारिता, श्री सी. एस. मार्को, जिला संघ प्रशासक जबलपुर, श्री यशोवर्धन पाठक से.नि. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर, श्री राकेश बाजपेयी, जिला संघ प्रबन्धक जबलपुर उपस्थित रहे।

उज्जैन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री बी.एल. मकवाना, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री विशेष श्रीवास्तव ,मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन, उपस्थित रहे।

भोपाल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री ऋतुराज रंजन, प्रबन्ध संचालक राज्य सहकारी संघ भोपाल, श्री आर. के. गंगेले, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अपेक्स बैंक, श्री संजय कुमार सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राज्य सहकारी संघ भोपाल कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

संभागीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन श्री संजय कुमार सिंह राज्य सहकारी अधिकारी एवं श्री संतोष येड़े राज्य समन्व्यक राज्य संघ मुख्यालय भोपाल के दिशा निर्देश में किया गया। जिसमें जबलपुर के प्रशिक्षण सत्रों का समन्वय श्री विजय कुमार बर्वे प्राचार्य, इंदौर के प्रशिक्षण सत्रों का समन्वय श्री शिरीष पुरोहित कम्प्यूटर प्रशिक्षक, भोपाल के प्रशिक्षण सत्र का समन्वय श्रीमती मीनाक्षी बान कम्प्यूटर प्रशिक्षक, उज्जैन के प्रशिक्षण सत्रों का समन्वय श्री दिलीप मरमठ प्राचार्य द्वारा किया गया।

इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में श्री विनोद कुशवाहा, लोकेश श्रीवास्तव, श्री प्रवीण कुशवाह, श्री विक्रम मजूमदार एवं संघ के समस्त स्टॉफ का विशेष सहयोग रहा।

गबन-धोखाधड़ी के सभी प्रकरणों पर यथाशीघ्र कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें-नरेश पाल कुमार

प्रशासक, अपेक्स बैंक ने जिला बैंक के मुख्य कार्यपालकों की बैठक में दिये निर्देश

भोपाल। अपेक्स बैंक के सभागार में मध्यप्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की गबन एवं धोखाधड़ी के नये एवं पुराने सभी प्रकार के प्रकरणों पर समीक्षा करने हेतु आयोजित बैठक में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश एवं प्रशासक, अपेक्स बैंक की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में श्री पाल ने निर्देशित किया कि सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक मुख्यालय के स्तर से लगातार समय–समय पर अपने परिपत्रों के माध्यम से बैंकों को गबन एवं धोखाधड़ी के नये प्रकरणों के साथ–साथ पुराने प्रकरणों पर भी अंकुश लगाने के संबंध में समय–सीमा में आवश्यक कार्यवाही कर उसकी जानकारी पोर्टल में दर्ज कराने हेतु लिखा जा रहा है, किन्तु कतिपय जिला बैंकों द्वारा इस पर संतोषजनक कार्यवाही नहीं किये जाने पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमने पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर अंकेक्षण एवं निरीक्षण की कार्यशाला के माध्यम से बैंक के चार्टर्ड एकाउंटेंट के साथ सहकारिता विभाग एवं जिला बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण देकर यह अपेक्षा की थी कि नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के परिपालन में अंकेक्षण/निरीक्षण कार्य की समुचित योजना के अनुरूप प्रयास किये जायें, जिसका अनुसरण किया जाना जिला बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की जवाबदारी है। श्री पाल ने कहा कि यदि जरूरी हुआ हो तो आपके जिले के कलेक्टर को भी राजस्व प्रकरणों में आपकी मदद करने का आग्रह मेरे द्वारा किया जावेगा।

बैठक में अपर आयुक्त सहकारिता श्री अरूण माथुर ने अपेक्षा कि नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदण्डों का पालन करते हुये बैंक की कार्यप्रणाली को संचालित किया जाये तथा तीन वर्ष में कम से कम लेखा का कार्य करने वाले कर्मचारियों का रोटेशन अवश्य किया जावे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।